राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] चौदहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

सोमवार,

21 सितम्बर, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

खानों के आबंटन में भ्रष्टाचार की जांच

श्री अध्यक्ष: नमस्कार-नमस्कार। राम-राम, साहब। यथावत्-यथावत्? नमस्कार-नमस्कार। मैं पूछ लूं कि यथावत्? प्रश्न काल। श्री भैराराम चौधरी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खानों का गड़बड़झाला चल रहा है, जिसमें नेता और अफसर आपस में मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन है कि पहले मुख्य मंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद में चर्चा हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): और बहुत सारा खुलासा मीडिया के जरिए हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): खानों में भारी भ्रष्टाचार है। नेता और अफसरों के रिश्तेदार इन खानों में इन्वाल्व हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री भैराराम चौधरी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसलिए इसके लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए, स्पेशल जांच की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा हुआ है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इस तरह का घोटाला राजस्थान में कभी भी सामने नहीं आया। ..(व्यवधान) नेता और प्रभावित अफसरों के परिजन... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अराजकता का माहौल है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बंदर-बांट हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनें आप पहले। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर अराजकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है (व्यवधान) राजस्थान की मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले मुख्य मंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद में चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री पहले इस्तीफा दें और उसके बाद में चर्चा हो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को गम्भीरता से लेने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं हो। श्री भैराराम चौधरी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

ओसियां (जोधपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

42. **श्री भैराराम चौधरी** (ओसियां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भैराराम चौधरी)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र ओसियां के उपखण्ड स्तर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दुर्घटना में घायल हुए मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रोमा सेंटर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का पद सृजित है? यदि हां, तो सम्बन्धित विशेषज्ञ का पदस्थापन कब तक कर दिया जाएगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसियां में 30 शय्याएं स्वीकृत हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्य पदों के अतिरिक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी एवं निश्चेतन का भी एक-एक पद स्वीकृत है तथा एक्सरे, ईसीजी इत्यादि की सुविधाएं एवं 108 तथा बेस रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसियां में दुर्घटनाग्रस्त रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, पावटा लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां ट्रोमा सेंटर स्वीकृत है इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसियां में ट्रोमा सेंटर खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसियां में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का एक पद स्वीकृत है जिस पर डा. सुनिता कुलदीप स्त्री रोग में पी.जी. चिकित्सक पदस्थापित है, जो दिनांक 30.07.2015 से स्वैच्छिक अनुपस्थित चल रही है।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट, दस मिनट। गला ठीक करो, गला ठीक करो। पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि ओसियां उपखण्ड पर आर.एस.आर.टी.सी. की सड़क है और वहां का भौगोलिक उपखण्ड इस तरह से है कि घना आबादी क्षेत्र है। वहां रोज-रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जोधपुर जो मुख्य शहर है, वह यहां से कम से कम 80 किलोमीटर दूर पड़ता है जिसके कारण घायलों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कभी भी आपकी ओर से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दस मिनट, दस मिनट। (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ट्रोमा सेंटर खोलने का आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि ओसियां के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने मापदंड बना रखे हैं कि ट्रोमा सेंटर कहां-कहां पर खोला जाए। दो ट्रोमा सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ओसियां के पास में पावटा में ट्रोमा सेंटर स्थापित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां और पावटा के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मानव संसाधनों की कमी है चिकित्सा विभाग में फिर भी हमने कोशिश की है कि हम इन चिकित्सकों और मानव संसाधनों की जो कमी है, उसको हम पूरा करें। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ओसियां के अन्दर जो महिला चिकित्सक काम कर रही थीं, जो स्वेच्छा से अनुपस्थित थीं, मैं उसको निलम्बित कर रहा हूं और वहां जो भी और चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, इन्हीं दस दिनों के अन्दर उन सब पदों को भरेंगे और ओसियां के अन्दर और भी जो सुविधाओं की कमी है, उनके बारे में माननीय सदस्य से बात करके उन सुविधाओं को हम पूरा करेंगे।

राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी सप्ताह में हम 1135 चिकित्सकों की पदस्थापना कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने पहले भी 2015 चिकित्सकों की पदस्थापना की थी। हमें विरासत में बहुत बड़ी संख्या के अन्दर रिक्त पद मिले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने वोट की फसल काटने के लिए आनन-फानन में कई चिकित्सा संस्थाएं खोल दीं लेकिन वे कागजों में ही रहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं स्वयं देखूंगा और ओसियां का चिकित्सालय ठीक से चले, इसके लिए सारी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): नहीं, हो गया। मैं संतुष्ट हूं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदयजी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जयपुर से लेकर सीकर के मध्य एक भी ट्रोमा यूनिट नहीं है, हमारे ढोढसर के अन्दर एक दानदाता ने ढाई करोड़ रुपये लगाकर भवन को पूरा करा रखा है, क्या मंत्री महोदय सीकर से लेकर जयपुर के मध्य ढोढसर के अन्दर ट्रोमा यूनिट खोलने का विचार रखते हैं? मंत्री महोदय, जयपुर से लेकर सीकर के मध्य ढोढसर में ट्रोमा यूनिट खोलने का आप विचार रखते हैं? वह भी नेशनल हाई-वे के ऊपर ही स्थित है।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चौमूं में ढोढसर के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोलने की मांग की है। यह सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां और जोधपुर से सम्बन्धित है, फिर भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ढोढसर के अन्दर उपादेयता को देखते हुए और दानदाता ने भवन बना रखा है तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, हमारे निर्धारित मापदंडों के अन्दर अगर ट्रोमा सेंटर खोलने के लिए अहर्ताएं पूरी होती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार करेगी।

मैं आज ही एक टीम भेजूंगा, गोविंदगढ़ में आपके ढोढसर के अन्दर जाकर उसकी फिजिकल स्टडी कर लेंगे। वहां पर कितनी संख्या में ओ.पी.डी. हैं, कितनी आई.पी.डी. हैं, दुर्घटना कितनी-कितनी होती हैं, इन सब बातों को देखते हुए निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्षः श्रीमती कमसा मेघवाल। पूरक प्रश्न, श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि ओसियां और पावटा के बीच में 65 किलोमीटर की दूरी है लेकिन भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भोपालगढ़ और पावटा के बीच 80 किलोमीटर की दूरी है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि भोपालगढ़

(श्रीमती कमसा)

के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोलने की आप यहां पर घोषणा करें। मैं यह भी चाहती हूं कि एन.एच.-65 जो नागौर हाई-वे है, भोपालगढ़ और सोयला ग्राम पंचायत के बीच में बहुत दूरी है और आए दिन वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, सोयला ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको भी आप क्रमोन्नत करने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। (व्यवधान) यह जवाब आने दीजिए। हां, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्या ने भोपालगढ़ के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोलने की बात कही है। मैंने पहले भी कहा, ट्रोमा सेंटर कहां पर खोले जाएं, इसके लिए भारत सरकार ने मापदंड बना रखे हैं। उसमें दो सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान के अन्दर कुल 56 ट्रोमा सेंटर हैं लेकिन 56 ट्रोमा सेंटर में से सिर्फ 29 ट्रोमा सेंटर ही संचालित हैं। हमारे पास निश्चित तौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है। इसीलिए राज्य सरकार ने पहली बार एक नवाचार करते हुए वन ईयर पी.जी. डिग्री कोर्स चालू किया है। अभी हमें तीन महीने बाद कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। उन चिकित्सकों के उपलब्ध होने के बाद गुणावगुण के आधार पर भोपालगढ़ के बारे में भी विचार किया जाएगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक बंशीधर।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रींगस से लेकर...(व्यवधान) सीकर से लेकर जयपुर तक के बीच में कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं है इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नीचे-नीचे प्लीज। डायस पर नहीं। नहीं प्लीज, डायस पर नहीं। यह नहीं होगा। यह नहीं हो सकता। डायस पर नहीं। अनुशासन में रहिए। नो। बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं। नीचे। नो-नो। डायस पर नहीं। इधर नहीं। नो मींस नो। क्या मजाक है?...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व शोरगुल)

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से लेकर जयपुर के बीच में कहीं पर भी ट्रोमा सेंटर नहीं है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सीकर के अन्दर यथाशीघ्र ट्रोमा सेंटर खोलें। 20 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सात आदमी खतम हो गये थे। वहां पर यदि ट्रोमा सेंटर होता तो उनकी जान बचा सकते थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रोमा सेंटर की घोषणा करें, प्लीज।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जयपुर और सीकर के बीच में कोई भी ट्रोमा सेंटर नहीं है और सीकर ही एक ऐसी जगह है जो नेशनल हाई-वे पर स्थित है। रींगस के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोलने के लिए आवश्यक अध्ययन करके गुणावगुण के आधार पर हमें मानव संसाधन उपलब्ध होने पर, उस पर आवश्यक कार्यवाही निश्चित तौर पर की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Twelve thirty.

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.09 बजे, 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.30 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरीके से राजस्थान की मुख्यमंत्री +++ हैं...(व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आप एक बार विराज जाएं। आसन पांवों पर है, आप एक बार विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, खान घोटाले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें वसुन्धराजी दोषी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं। .. (व्यवधान).

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ खान घोटाले में। (व्यवधान).

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आप सी.बी.आई. जांच के निर्देश दें सरकार को।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से कोई भी बोलेगा, वह अंकित नहीं होगा। मैं आप सब सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जितने अधिकार आपके हैं, बाकी सदस्यों के भी उतने ही अधिकार हैं। आप उनके भी अधिकारों का ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार की मुखिया, मुख्य मंत्री जिस तरीके से +++ हैं, हम यह निवेदन करना चाह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता जो भी कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। वह पढ़ी हुई मान लें? 295 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं हैं, पढ़ी हुई मान ली जाती हैं। पर्ची के माध्यम से, डा. फूलचन्द भिण्डा।

(नियम 295 के तहत, पढ़ी हुई मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश और नारेबाजी)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नरेगाकर्मियों के वेतन-भत्ते

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): राजस्थान में एक राष्ट्रीय योजना चल रही है नरेगा। 2007-08 से नरेगा योजना चल रही है। उसमें कार्यरत संविदा और अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको वेतन मिनिमम वेज से भी कम मिल रहा है और उनका नियमितीकरण भी नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका नियमितीकरण किया जाए,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उनकी वेतन वृद्धि की जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाए। नरेगा के मजदूर को जितना मिलता है, उससे भी कम वेतन उनको मिल रहा है। भटनागर कमेटी के माध्यम से जो रिकमण्डेशन आयी थीं, उनको भी लागू नहीं किया गया। उनको मंहगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। विद्यार्थी मित्रों की भांति उनको भी नियमित किया जाए और उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्रीमती अलका सिंह। एक मिनट विराज जाएं, मंत्री महोदय, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है, मेरा इसमें निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसमें पारम्परिक वेतन नहीं दिया जाता है, इसमें मानदेय का भुगतान योजना की गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। महानरेगा में अधिकांश कार्मिक संविदा पर कार्यरत हैं, उनके पदों की समयावधि प्रति वर्ष बढ़ायी जाती है। योजनागत प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलों को निर्देश प्रदान किये गये हैं कि सभी कार्मिकों को समय पर मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिये केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि योजना में कोई स्थायी पद सृजित नहीं किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह। If you want to speak, You can speak. In case you feel that the House is not in order…

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): बस, दो मिनट बोलना चाहूंगी, ज्यादा नहीं because House is not in order. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। थैंक यूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बाड़मेर में चल रही जल-योजनाओं की धीमी गति

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदयजी, हमारे क्षेत्र बाड़मेर जिले के अन्दर जल की तीन बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं में पोकरण, परसू, ढीरे की ढाणी, दूसरी बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना और उदयपुर धवा योजना है जो बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं। सरकार

(श्री कैलाश चौधरी)

के द्वारा इनके लिए पैसे भी दे दिये गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी, 2016 तक यह योजना पूर्ण होनी थी, अभी जिस गति से चल रही है, नहीं लगता कि 2017 तक भी यह योजना पूरी होगी। इसलिये मैं मंत्री महोदयाजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ठेकेदार के ऊपर अंकुश लगाएं। कब तक यह योजना पूरी कर दी जाएगी, इतना ही निवेदन है मंत्री महोदयाजी से।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित विभाग की निम्न 70 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.7(1ए)एफ.डी-1(1)/बजट/एफआरबीएम/2005 दिनांक 16.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या : एफ.2(51)वित्त/कर/2014-6 दिनांक 15.4.2015 जिसके द्वारा रिडकोर के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
3. अधिसूचना संख्या : एफ.15(19)वित्त/कर/2014-7 दिनांक 21.4.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.15(19)वित्त/कर/2014-179 दिनांक 28.1.2015 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2008-8 दिनांक 23.4.2015 जिसके द्वारा जापानी एवं कोरियाई निवेशकों द्वारा जापानी जोन द्वितीय एवं कोरियन जोन में स्थापित इकाइयों के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का निर्धारण किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 24.4.2015 जिसके द्वारा गोलछा सिनेमा हाल जयपुर में निर्धारित अवधि में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अधिसूचना में उल्लेखित फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है।

6. अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-11 दिनांक 27.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची IV में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या:एफ.12(34)वित्त/कर/2010-12 दिनांक 27.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या : एफ.2(35)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 5.5.2015 जिसके द्वारा माही सीमेंट लि. का इण्डो जिंक लि. में अमलगेशन के आदेश पर देय स्टाम्प ड्यूटी के ब्याज एवं पेनल्टी में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

9. अधिसूचना संख्या : एफ.12(177)वित्त/कर/06-15 दिनांक 5.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची II में संशोधन किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या : एफ.12(177)वित्त/कर/06-16 दिनांक 5.5.2015 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा मैसर्स होण्डा कार्स लि. को विक्रय किये गये माल पर 4 प्रतिशत से अधिक की सीमा तक देय वैट में छूट प्रदान की गई है।

11. अधिसूचना संख्या : एफ.2(30)वित्त/कर/2015-17 दिनांक 15.5.2015 जिसके द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार को पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/2015-18 दिनांक 15.5.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(114)वित्त/कर/07-56 दिनांक 27.11.2007 को अधिक्रमित किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या : एफ.2(51)वित्त/कर/2014-19 दिनांक 21.5.2015 जिसके द्वारा रिडकोर इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

14. अधिसूचना संख्या : एफ.12(74)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 2.6.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ 12(74)वित्त/कर/2014-105 दिनांक 24.9.2014 को अधिक्रमित किया गया है।
15. अधिसूचना संख्या : एफ.05(18)वित्त/कर/2015-22 दिनांक 8.6.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है।
16. अधिसूचना संख्या : एफ.5(18)वित्त/कर/2015-23 दिनांक 8.6.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-50 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है।
17. अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-24 दिनांक 10.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी नान कनवर्टेबल बाण्डस पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
18. अधिसूचना संख्या : एफ.12(43)वित्त/कर/2011-25 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है।
19. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-26 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।
20. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।
21. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-28 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।
22. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

धारा 51 बी के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल के विक्रय पर कर में छूट प्रदान की गई है।

23. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-30 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत खाद्य तेल के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

24. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत भारी वाणिज्यिक मोटर वाहनों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

25. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत पैकिंग सामग्री के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

26. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत अनाज एवं दालों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

27. अधिसूचना संख्या:एफ.12(77)वित्त/कर/2014-34 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार 4 प्रतिशत कर देय माल की बिक्री पर देय केन्द्रीय बिक्री कर की दर में 4 प्रतिशत दर से जितना अधिक हो, की सीमा तक कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

28. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-35 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत मोटर वाहनों के टायर और ट्यूबों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

29. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-36 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

धारा 51 बी के अन्तर्गत प्री इन्जीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

30. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-37 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत सीमेंट के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

31. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-38 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत एसी प्रेशर पाइपों के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

32. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न और नायलान फिलामेन्ट यार्न के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

33. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-40 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न/नायलान फिलामेन्ट यार्न, पालीमर चिप्स एवं पालीप्रोपिलिन फिलामेन्ट यार्न के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

34. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-41 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत सभी प्रकार के मानव निर्मित रेशे एवं मानव निर्मित धागे इत्यादि के विक्रय पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

35. अधिसूचना संख्या : एफ.12(77)वित्त/कर/2014-42 दिनांक 12.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51 बी के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994/राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचित दर वाले माल की बिक्री पर देय केन्द्रीय बिक्री कर की दर में अधिक की सीमा तक कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

36. अधिसूचना संख्या : एफ.12(121)वित्त/कर/2011-43 दिनांक 19.6.2015 जिसके द्वारा मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. द्वारा प्लान्ट स्थापन हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल के प्रवेश पर कर में छूट में प्रदान की गई है।

37. अधिसूचना संख्या : एफ.2(39)वित्त/कर/2015-44 दिनांक 23.6.2015 जिसके द्वारा बल्लभ पित्ती ग्रुप की कम्पनियों के पक्ष में निष्पादित लीज/सैल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।

38. अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2015-46 दिनांक 26.6.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-230 दिनांक 9.3.2015 को अधिक्रमित किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2015-47 दिनांक 26.6.2015 जिसके द्वारा डेब्ट असाइनमेन्ट के दस्तावेज पर देय पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

40. अधिसूचना संख्या : एफ.2(27)वित्त/कर/2015-48 दिनांक 26.6.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-95 दिनांक 25.2.2008 को विखंडित किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या : एफ.12(37)वित्त/कर/2015-49 दिनांक 1.7.2015 जिसके द्वारा श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप की कम्पनियों के लिए राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

42. अधिसूचना संख्या : एफ.12(37)वित्त/कर/2015-50 दिनांक 1.7.2015 जिसके द्वारा श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप की कम्पनियों द्वारा माल के निर्माण हेतु ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क की दर सशर्त घटाई गई है।

43. अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)वित्त/कर/2015-53 दिनांक 10.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स यजाकी इण्डिया प्रा. लि. के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।

44. अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 13.7.2015 जिसके द्वारा डेली न्यूज एण्ड एनालाइसिस, जयपुर द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में दिनांक 08.07.2015 से 31.07.2015 तक बाल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फिल्म महोत्सव चरण-2 में बाल फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या : एफ.12(3)वित्त/कर/2015-57 दिनांक 17.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स याजाकी इण्डिया प्रा. लि., भिवाड़ी को राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की धारा 9 के अन्तर्गत प्लांट की स्थापना पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

46. अधिसूचना संख्या : एफ.12(3)वित्त/कर/2015-58 दिनांक 17.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स याजाकी इण्डिया प्रा. लि., भिवाड़ी द्वारा निर्माण गतिविधियों में उपभुक्त ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

47. अधिसूचना संख्या : एफ.12(75)वित्त/कर/2015-59 दिनांक 21.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या : एफ.12(75)वित्त/कर/2015-60 दिनांक 21.7.2015 जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा बेसिक श्रेणीकृत हेरिटेज होटलों में पकाये एवं परोसे गये भोजन की बिक्री पर कर से छूट सम्बन्धी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है।

49. अधिसूचना संख्या : एफ.2(41)वित्त/कर/2015-62 दिनांक 23.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट गैस लि. द्वारा अधिकृत अंश पूंजी बढ़ाने पर उसके आर्टिकल आफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है।

50. अधिसूचना संख्या : एफ.2(51)वित्त/कर/2015-63 दिनांक 23.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के तहत जिन एन्टरप्राइजेज के पक्ष में कोस्टोमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किया गया है ऐसे एण्टरप्राइजेज द्वारा कोस्टोमाइज्ड पैकेज के अनुसार भूमि निर्माण सहित या रहित के क्रय/लीज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को शत-प्रतिशत माफ किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-III-64 दिनांक 24.7.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.12(28)वित्त/कर/2010 पार्ट-III-192 में संशोधन किया गया है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

52. अधिसूचना संख्या : एफ.12(54)वित्त/कर/2015-पार्ट-I-69 दिनांक 24.7.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.12(14)वित्त/कर/2006-136 दिनांक 8.3.2006 समय-समय पर यथा संशोधित में संशोधन किया गया है।

53. अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/2012-70 दिनांक 24.7.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या : एफ.12(44)वित्त/कर/2015-71 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि., उदयपुर को मनोरंजन कर से सात वर्ष की अवधि हेतु सशर्त कर में छूट दी गई है।

55. अधिसूचना संख्या : एफ.12(44)वित्त/कर/2015-72 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. उदयपुर को क्षेत्र में पर्यटन सम्बन्धी इकाई की स्थापना हेतु प्रवेश कर में 75 प्रतिशत सशर्त कर में छूट दी गई है।

56. अधिसूचना संख्या : एफ.12(44)वित्त/कर/2015-73 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स भूमिका एन्टरप्राइजेज प्रा. लि. उदयपुर को क्षेत्र में पर्यटन सम्बन्धी इकाई में सशर्त विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दस वर्षो के लिए प्रदान की गई है।

57. अधिसूचना संख्या : एफ.12(55)वित्त/कर/2013-75 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स मनीपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर को प्रदेश में माल के प्रवेश से 3.9.2013 से 2.9.2016 तक प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

58. अधिसूचना संख्या : एफ.12(55)वित्त/कर/2013-76 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा मैसर्स मनीपाल इन्टीग्रेटेड सर्विसेज प्रा. लि. जयपुर को प्रदेश में यूनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 3.9.2013 से 2.9.2016 तक प्रवेश कर में छूट दी गई है।

59. अधिसूचना संख्या : एफ.12(42)वित्त/कर/2013-78 दिनांक 29.7.2015 जिसके द्वारा रिप्स 2014 के अन्तर्गत मैसर्स जिन्दल सा लि., भीलवाड़ा को विद्युत शुल्क में सशर्त 50 प्रतिशत की छूट दस वर्षों के लिए प्रदान की गई है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

60. अधिसूचना संख्या : एफ.12(74)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 14.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.12(74)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 2.6.2015 को अधिसूचित किया गया है।

61. अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-81 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा डिस्कोम/राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि./राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा विभिन्न बैकों व वित्तीय संस्थाओं से ऋण की पुर्नसंरचना के लिये दिनांक 31.03.2020 तक निष्पादित किये जाने वाले ऋण के करारों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है।

62. अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-82 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा आरवीएनएल/आरवीयूएनएल द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर जारी किये जाने वाले नान-कनवर्टेबल बाण्ड पर देय स्टाम्प डयूटी में रियायत दी गई है।

63. अधिसूचना संख्या : एफ.12(161)वित्त/कर/09-83 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.6.2014 में संशोधन किया गया है।

64. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-I-84 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं. एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 में संशोधन किया गया है।

65. अधिसूचना संख्या : एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-I-85 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना सं.एफ.4(33)वित्त/कर/87-03 दिनांक 25.5.2009 में संशोधन किया गया है।

66. अधिसूचना संख्या : एफ.2(18)वित्त/कर/2015-86 दिनांक 3.9.2015 जिसके द्वारा राविल का अमलगमेशन रूफिडको में किये जाने के आदेश पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है।

67. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 5.6.2015 जिसके द्वारा उपापन की पद्धति निर्धारित की गई है।

68. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 5.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

69. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 में संशोधन किया गया है।

70. अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)एफ.डी/जीएफ एण्ड ए आर/2014 दिनांक 28.8.2015 जिसके द्वारा पांचों विद्युत कम्पनियों को कतिपय शर्तों पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 31 के लागू किये जाने से और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 के नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन विहित वित्तीय सीमाओं से, इसके द्वारा 31.7.2018 तक छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्षः श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 27 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्व विभाग

1. अधिसूचना संख्या : प.1(45)राज-6/2014/1 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा धौलपुर-सरमथुरा से गंगापुर सिटी रेल लाइन अमान परिवर्तन के लिए भूमि अर्जन कार्यवाही हेतु उप खण्ड अधिकारी धौलपुर, बाड़ी एवं सरमथुरा को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कलक्टर के कृत्यों हेतु शक्ति प्रदान की गई है।
2. अधिसूचना संख्या : प.6(32)राज-6/2014/2 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं।
3. अधिसूचना संख्या : प.9(234)राज-6/07 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक भूमि आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या : प.6(26)राज-6/2014/4 दिनांक 12.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

(श्री अमराराम)

5. अधिसूचना संख्या: प.6(30)राज-6/2000/5 दिनांक 09.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
6. अधिसूचना संख्या: प.6(24)राज-6/2001/पार्ट/6 दिनांक 9.4.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना प.2(495)राज/ख/68 दिनांक 7.8.1971 को विखण्डित किया गया है।
7. अधिसूचना संख्या: प.6(13)राज-6/2014/7 दिनांक 10.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
8. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/8 दिनांक 29.4.2015 जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
9. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/2014/9 दिनांक 29.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
10. अधिसूचना संख्या: प.9(98)राज-6/2014/10 दिनांक 30.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
11. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/पार्ट/11 दिनांक 06.5.2015 जिसके द्वारा दिनांक 11.5.2015 से 15.7.2015 तक राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 के दौरान नामान्तरणकरण निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु तहसीलदारों को दी गई हैं।
12. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/2014/पार्ट/12 दिनांक 08.5.2015 जिसके द्वारा स्कूलों, कालेजों आदि लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन नियम 1963 में राजकीय विभागों को प्रतिबंधित किस्म की भूमि आबंटन हेतु आबंटन अधिकारियों का सशक्त किया गया है।

(श्री अमराराम)

13. अधिसूचना संख्या : प.9(15)राज-6/2005पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम 1970 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या: प.9(8)राज-6/2015/14 दिनांक 13.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान शौर्य पदक, (केश रिवार्ड एवं लैण्ड ग्रान्ट) नियम 1966 में संशोधन किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/पार्ट-I/15 दिनांक 14.5.2015 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टर को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं।

16. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/16 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/17 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या: प.1(51)राज-6/2014/18 दिनांक 22.5.2015 जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भूमि अर्जन कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी तिजारा को अपने क्षेत्राधिकार में सशक्त किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है।

19. अधिसूचना संख्या: प.4(1)राज-6/2006/पार्ट/19 दिनांक 26.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 में संशोधन किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या: प.2(3)राज-6/2015/20 दिनांक 26.5.2015 जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव काठौडी, लाणेला एवं भादासर जिला जैसलमेर की कतिपय भूमियों को ग्राम सभा के प्रवन्धन से निर्निहित किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या: प.11(4)राज-6/2014/21 दिनांक 29.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का

(श्री अमराराम)

अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या: प.9(14)राज-6/2015/22 दिनांक 1.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (एग्रोप्रोसेसिंग एण्ड एग्रीबिजनेस एन्टरप्राइजेज स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम 2011 में संशोधन किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या: प.6(1)राज-6/2014/23 दिनांक 15.7.2015 जिसके द्वारा किसी राजस्व अपील अधिकारी के अवकाश पर रहने पर उस न्यायालय कार्य संपादन हेतु कतिपय लिंक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

24. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/24 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के भीतर दिनांक 30.11.2015 तक अधिकृत किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/25 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर दिनांक 30.11.2015 तक की अवधि के लिए सशक्त किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है।

26. अधिसूचना संख्या: प.9(126)राज-6/2012/26 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार की शक्तियां दिनांक 30.11.2015 तक के लिए प्रदान करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है।

27. अधिसूचना संख्या: प.4(1)राज-6/2006/पार्ट/30 दिनांक 12.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्न छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

परिवहन विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/रूल्स/एच.क्यू/2015/5492 दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु/II/92/12004 दिनांक 30.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/रूल्स/एच.क्यू/2005/IV/16855 दिनांक 31.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु/उर्स/5732-45 दिनांक 7.4.2015 जिसके द्वारा दिनांक 13.4.2015 से 1.5.2015 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर में आने-जाने वाले यात्री वाहनों के लिए कर में छूट प्रदान की गई है।
5. अधिसूचना संख्या: एफ.6(266)परि/कर/मु/2006/8366-79 दिनांक 15.5.2015 जिसके द्वारा 12 बैठक क्षमता से अधिक वाले वातानुकूलित यात्री वाहनों (स्लीपर कोच के अतिरिक्त) पर देय विशेष सड़क कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
6. अधिसूचना संख्या: एफ.6(79)परि/कर/मु/95/6/13910 दिनांक 22.7.2015 जिसके द्वारा 2012 तक देय कर पर ऐमनेस्टी योजना के तहत शास्ति व ब्याज में छूट प्रदान की गई है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ऊर्जा विभाग

1. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि. 110 दिनांक 26.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (रूफ टाप तथा लघु सौर ग्रिड पास्परिक क्रिया तंत्र हेतु संयोजिता तथा नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 विरचित किये गये हैं।
2. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-111 दिनांक 18.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों – पवन तथा सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-112 दिनांक 18.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि. 113 दिनांक 7.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों-बायोमास, बायोगैस तथा बायोमास गैसीफायर ऊर्जा के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2015 विरचित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति 2015-16 (क्र. सं. 57 से 67)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2015-16 के निम्न 11 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 57वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री जोगाराम पटेल)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 58वां प्रतिवेदन।

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.6, 2.3.1, वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4.9 वित्त, पैंशन एवं सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 59वां प्रतिवेदन।

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.4.3, माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 60वां प्रतिवेदन।

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.5 एवं 3.4.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 61वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 62वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 पर्यावरण विभाग, अनुच्छेद संख्या 3.1.2 एवं वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1.2 तथा 2.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.1, 3.1.1 एवं 3.3.2 जल संसाधान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 64वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 210वें प्रतिवेदन में देवस्थान विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन

(श्री जोगाराम पटेल)

द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 65वां प्रतिवेदन।

10. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 180वें प्रतिवेदन में आबकारी विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 66वां प्रतिवेदन।

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.3 उद्योग विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 67वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल जी गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति।

राजकीय उपक्रम समिति 2015-16 (क्र. सं. 27 से 36)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 के निम्न 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2009-10) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 27वां प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2009-10) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 28वां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) (संख्या-4) वर्ष 2009-10) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 29वां प्रतिवेदन।

4. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 30वां प्रतिवेदन।

5. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 31वां प्रतिवेदन।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

6. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 2010-11) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 32वां प्रतिवेदन।

7. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) (संख्या-4) वर्ष 2010-11) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 33वां प्रतिवेदन।

8. राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-12) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 34वां प्रतिवेदन।

9. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-12) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 का 35वां प्रतिवेदन।

10. राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वा.) वर्ष 1999-2000) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-15 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2015-16 का 36वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख'।

प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-16 (क्र. सं. 2)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख' 2015-16 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2015-16 (क्र. सं. 1)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2015-16 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2015-16 का उपस्थापन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2015-16)

(प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2015-16 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, सूची के विधायी कार्य के अन्दर किस समय आपको कहां उपस्थित होना है, आसन दुबारा इस पर उदारतापूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। विधायी कार्य। आदरणीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। सौभाग्य की बात है कि बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार राजस्थान की विधान सभा ने यह ऐतिहासिक कानून बनाया था। यह जो राजस्थान पुलिस विधेयक है, यह अनेक आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के आधार पर और अन्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सख्त रवैया अपनाने के उपरान्त बना था। हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा ने पुलिस से सम्बन्धित इतना बढ़िया कानून नहीं बनाया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी और तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलाब चन्दजी कटारिया के हम सब आभारी हैं कि उन्होंने राजस्थान में हिन्दुस्तान के माडल के रूप में एक बहुत बड़ा कानून बना कर दिया। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के पांच सालों के दौरान इसके नियम नहीं बनाये गये। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यथासम्भव इससे सम्बन्धित जो नियम हैं, उन्हें पारित किया जाए।

(श्री जोगाराम पटेल)

आपने जो संशोधन दिया है, वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के द्वारा जो उस तबके के बहुत कम लोग हैं, उनके द्वारा शांति व्यवस्था को भंग करने, बार-बार अपराध करने और अपराध से बार-बार बच जाने यह कहकर कि वह तो शराब पीया हुआ था, उसके सम्बन्ध में जो कानून बनाया है, उसके लिए मैं आपका और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इससे भी अधिक सख्त कानून की आवश्यकता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत जरूरी कानून है इसलिए मैंने अपना जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसको मै वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना भी करता हूं। साथ ही साथ, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि दो-चार माननीय सदस्य जिनका गला बैठ गया है, ऐसा सख्त कानून बन जाएगा तो उनका गला परिपक्व भी नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि जन कल्याण के लिए पुलिस का क्या कानून हो, किस तरह का हो, वह आवश्यक संशोधन के लिए रखा है। मैंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए जो प्रस्ताव किया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं गृह मंत्रालय और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के पुलिस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में...(व्यवधान) पचास साल की मित्रता जो गन्दे लोगों से आती है, उसकी बदौलत है यह सब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी अभिव्यक्ति बिल की सीमाओं तक सीमित रखें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 विचार के लिए लाया गया है। आंशिक संशोधन पुराने बिल में किया है। चूंकि हाउस आर्डर में नहीं है, इसलिए व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुखराम विश्नोई। श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज में वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, असामाजिक और आपराधिक तत्व आम लोगों को जिस प्रकार से हैरान और परेशान करते हैं, ऐसे में राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 लाना राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन इस कानून को सही तरीके से लागू करेगा और इसका कहीं भी किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। समाज का आम आदमी चैनपूर्वक अपना जीवन जी सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कानून था। मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव दिया था, मैं सदन से उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री मान सिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 में जो संशोधन किये गये हैं, निश्चित रूप से यह पुलिस एक्ट में बदलाव की एक प्रक्रिया है। मैंने इसमें जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को वापस लेने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 के लिए माननीय मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो राजस्थान की जनता के लिए बहुत अमूल्य होने वाला है, सरकार ने इसको लाकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः मास्टर मामन सिंह।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का मैंने जो प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव मैंने दिया था, मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 जो सरकार द्वारा लाया गया है, मैं इसकी बहुत-बहुत तारीफ करता हूं। जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का अपना संशोधन दिया था, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित) सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया था, वह वापस लेने की आपसे अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 से राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 60

(डा. मंजू बाघमार)

में नयी धारा 60 (क) को अन्तर्स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, निश्चित रूप से इसमें जो जुर्माने की राशि बढ़ायी गयी है उससे अपराधों में कमी आएगी। अत: मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधरजी (अनुपस्थित) श्री रमेश। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 गृह मंत्रीजी द्वारा लाया गया है। श्री गुरुशरण सिंह छाबड़ा ने 45 दिन की जो भूख हड़ताल की, उसके कारण दिनांक 15.05.2014 को सरकार का लोकशक्ति संघर्ष समिति से जो समझौता हुआ है, उसी में ये प्रावधान रखे गये हैं कि पहली बार में पांच सौ, दूसरी बार में पांच हजार और तीसरी बार आरोप प्रत्यारोपित होता है तो उसको दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे खुशी है कि उस एग्रीमेंट को आपने इमप्लीमेंट किया है, उसकी क्रियान्विति की है और यह राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक उसी के फलस्वरूप आया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो बड़े-बड़ी घटनाएं आनंदपाल सिंह जैसे कुख्यात आरोपियों के भागने की हो रही हैं और राजस्थान में जो गैंगवार है, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान उस गैंगवार की तरफ आकर्षित करता हूं। बीकानेर की जेल में हथियार पहुंचे और कुख्यात लोगों ने आपस में एक-दूसरे को मारने का काम किया। वहां एक हत्या हुई और आज यह आनंदपाल सिंह भागा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो भी गैंगवार चल रही है सीकर, झुंझुनूं, चूरू के गुंडों में, इसके लिए आप एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करें जिसमें हाई कोर्ट का जज भी हो और वर्तमान डी.जी. भी हों और पूर्व के भी दो डी.जी. हों ताकि जितने भी गैंगवार राजस्थान में हुए हैं उन गैंगवारों का पूरा विश्लेषण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किया जाए और इन गैंगवारों के जो भी मुखिया और गुंडे हैं, उनको समाप्त करने की कार्यवाही सक्षम रूप से राज्य सरकार आपके नेतृत्व में करे। यही मेरा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसको मैं विथड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। यह स्पष्ट रूप से आपके नियम में और अध्यक्षीय सर्कुलर से इश्यू हो चुका है कि इस सदन में मोबाइल लाना वर्जित है। आपके एक सदस्य आसन के सामने खुलेआम अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स ले रहे थे, सैल्फी ले रहे थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें और इस प्रकार के किसी कृत्य को आसन सख्ती से लेगा। कृपा करके इस बात का ध्यान रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारेबाजी)

श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 में जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था, उसको मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 के संदर्भ में मैंने जो जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, मैं आपकी अनुमति से उसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 के संदर्भ में जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया था, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

एक माननीय सदस्य: अख़बार नहीं पढ़ सकते, वो अख़बार पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर उपाध्यक्षजी, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री झाबर सिंह खर्रा, श्री मानसिंह, श्री रामचन्द्र जी, मास्टर मामन सिंह यादव, श्री संदीप शर्मा, श्री मोहन लाल गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, सुश्री कीर्तिकुमारी, डा. मंजू बाघमार, श्रीमती अलकासिंह, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेन्द्र कटारा, श्री कैलाश भंसाली एवं श्री गोरधन ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री मनोज कुमार।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-3 में जो संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं, उसे मैं आपकी अनुमति से वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

विधेयक का पारण

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार 2007 में हमने जो पुलिस एक्ट बनाया था, उसमें धारा 60 में हमने यह प्रोविजन तो डाला था कि शराब पी कर और सड़क पर उत्पात करने वाले या अपने आप को वश में नहीं रखने वाले को हम 50 रुपया फाइन करते थे और अधिक से अधिक आठ दिन तक उसको जेल भेजा जा सकता था, लेकिन वह कानून सख्त नहीं था। इस अमेंडमेंट के द्वारा इस कानून को सख्त बनाने के लिए हमने 60-ए और जोड़ा है। जो सज़ा का हमारा 50 रुपया था, उसकी जगह हमने 500 किया, अगर एक बार वो करता है। दूसरी बार भी वो अपराध करता है तो पांच हजार, तीसरी बार भी करता है तो पांच हजार और उसके बाद वो जितनी बार करेगा उतना दस हजार रुपया उसको जुर्माना होगा और इसके साथ ही उसको आठ दिन की कैद है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसको इस कानून के तहत हमने सख्त बनाने का प्रयास किया है। इतना-सा छोटा-सा अमेंडमेंट 60 और 60-ए है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक पर विचार

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने अपना जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर जनमत जानने हेतु मैंने जो प्रस्ताव दिया है, मैं सदन से उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2005 के स्थान पर 2015 का अध्यादेश क्रमांक 8 का जो प्रस्ताव किया है सरकार ने, उसमें मैंने जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए किया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

(13.00 बजे)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए मैंने जो प्रस्ताव किया था, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री मनोज कुमार।

श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जो जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया था, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर जो मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव किया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015, कारागार अधिनियम 1894 की धारा 42 के अधीन यह अपराध असंज्ञेय था। अतः इसे संज्ञेय अपराध बनाये जाना तथा दंड की मात्रा को बढ़ाना तथा धारा 43 में संशोधन किया जाना जो प्रस्तावित है, निश्चित रूप से हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कारागार के माध्यम से जो भी अपराध हो रहे थे, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी।

अतः मैंने कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया था, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहती हूं। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर।

श्री बंशीधर (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु मैंने जो प्रस्ताव दिया था, वह प्रस्ताव वापस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश। श्री रमेश।

श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 इसमें जो भी नीति आपने propound की है, उससे कोई मतभेद नहीं है। मुख्य बात यह है कि राजस्थान में कारागारों की स्थिति, बीकानेर में जो कांड हुआ, जेल के अन्दर साल भर पहले जो बड़ी घटना हुई, राजस्थान सरकार ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। उससे सबक नहीं सीखने के कारण आनन्दपाल सिंह जैसे कुख्यात डाकू डीडवाना से अजमेर लाये जाते समय रास्ते में भाग गये। मैंने आपसे निवेदन किया है कि राजस्थान के कारागृहों में जो गैंगवार पनप रही है, उस गैंगवार को खतम करने के लिए आप कोई सक्षम आयोग बनाएं, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज उसके अध्यक्ष हों, आपके डी.जी. भी उसमें मैम्बर हों और पूर्व 2 डी.जी. भी उसमें मैम्बर हों। गृह मंत्रीजी, आपने जिम्मेदारी ली है कि आनन्दपाल सिंह भाग गया, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। मैं निवेदन करता हूं कि जिम्मेदारी लेना ही काफी नहीं है, आपको उन सब कारणों को दूर करना पड़ेगा। वे सारे कारण जिनकी वजह से राजस्थान में गैंगवार हो रही है और रोज बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं।

उन सब कारणों को खतम करने के लिए मैं मांग करता हूं कि हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में वर्तमान डी.जी. भी उसमें हों, 2 पूर्व डी.जी. हों, कमीशन आप बनाएं और उसकी रिपोर्ट 3 माह के अन्दर राजस्थान की जनता को वह कमीशन पेश करे।

मैं इन सुझावों के साथ जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव किया था, मैं आपकी अनुमति से उसे वापस लेना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 में जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु जो प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मान सिंह, श्री संदीप शर्मा, श्री मोहनलाल जी गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, डा. मंजू बाघमार, श्री बंशीधर जी, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेन्द्र कटारा, श्री कैलाश भंसाली और श्री गोरधन ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 । श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-2 में जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी मार्फत उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। मुझे अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 से 6 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

विधेयक का पारण

कारगार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जेलों में जो थोड़ी-बहुत कमियां हमको दिख रही हैं, उनको सुधारने के प्रयत्न के लिए ही यह संशोधन लेकर आये हैं। इस संशोधन के पीछे भावना यही है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि जेल की वर्किंग को और ज्यादा सख्त किया जाए। चाहे तो वह पैरोल जम्प करता है, चाहे इल्लीगल सामान लेकर जाता है, उनको हम कानून में ज्यादा से ज्यादा सख्त सज़ा करके कैसे रोक सकते हैं, इसीलिए हमने 42 में, 43 में, 58 ए, 58 बी ये जो नयी धाराएं जोड़ी हैं, इन सबके पीछे एक ही मकसद है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना के बारे में बताया, मैं सोचता हूं कि बिना किसी मांग के, बिना किसी आग्रह के सरकार ने स्वविवेक से एक तरह से कमिटेड इनक्वायरी इस केस पर बैठा दी है। 12 लोग जो इसमें संदिग्ध पाये गये हैं, उनको हमने निलम्बित किया है। 4 लोगों को हमने जेल में डाला है। अभी हम केस के हिसाब से कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके सुझावों को ध्यान में रखकर और भी जहां-जहां हमको और सुधार की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। यह इसी मंशा से लाये हैं कि हम जेल की वर्किंग को और ज्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये 4 अमैंडमेंट हम लेकर आये हैं, उसके पीछे मंशा यही है।

जिस केस की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, जिस प्रकार से गैंगवार हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी जितनी भी समझ है, हम निश्चित रूप से चाहे वह अपराधी कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जितनी वर्किंग कठोर की जा सकती है, उतना हम करने के लिए ये सारे अमैंडमेंट लेकर आये हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि सदन इसे पास करे।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः कोई सदस्य अगर बोलना चाहें?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः कोई सदस्य बोलना चाहता है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने इस बात का तो आश्वासन दिया है कि राजस्थान में जो गैंगवार हो रही है, उसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं,...(व्यवधान) आपके इशारों में आने वाला नहीं हूं, ध्यान रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, बीकानेर की जेल में बड़े से बड़ा कांड हो जाए और आनन्दपाल सिंह भाग जाए, कौन जिम्मेदार है? उसके ऊपर जो सौ गार्ड लग रहे थे, चालानी गार्ड लग रहे थे, उसकी जगह पन्द्रह गार्ड ही थे, कौन इस बात को देखेगा? हाई कोर्ट के जज, डीजी महोदय उस कमीशन में हों और दूसरे पूर्व डीजी भी हों, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह बहुत आवश्यक है, बल्कि जितने भी गैंगवार हुए, उन सबकी चीर-फाड़ उस कमीशन के सामने आए। यह कमीशन यदि आप नहीं बनाते हैं तो गैंगवार का क्या तो यह आनन्दपाल सिंह है, क्या यह राजू ठेहट है और बलवीर बानूड़ा जो मारा गया बीकानेर की जेल में, ये सारे गैंग शराबखोरी में लगे हुए हैं, ये सारे गैंग सब प्रकार के अपराधों में लगे हुए हैं। आपको क्या आपत्ति है कि हाई कोर्ट जज से इसकी जांच हो जाए? जितनी भी गैंगवार राजस्थान में पिछले सात-आठ साल में हुई हैं, उन गैंगवार का पर्दाफाश हाई कोर्ट के जज, हमारे डीजी और पूर्व डीजी के द्वारा किया जाए? मैं राज्य सरकार के सामने यह मांग रखता हूं। इस प्रकार का कमीशन बनाए बिना राजस्थान का गैंगवार न तो खतम हो सकता है, आप कितनी ही सावधानी रखें। जब तक इसका विस्तृत विश्लेषण और परीक्षण नहीं होता है, आप गैंगवारों को खतम नहीं कर सकते। माननीय मंत्री महोदय, 3 तारीख को आनन्दपाल सिंह भागा, आज कहां है आनन्दपाल सिंह? उसका कोई अता-पता है क्या? आपकी पूरी सरकार लगी हुई है उसके बावजूद उसका अता-पता नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि आप मन करके सारी गैंगवार के मुखियाओं को खतम करने के लिए इस प्रकार का कमीशन जिसका मैंने सुझाव दिया है, बनाने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो घटना आनन्दपाल और उसके साथियों के भागने की हुई है, निश्चित रूप से विभाग के लिए और मेरे स्वयं के लिए भी एक अफसोसजनक घटना है। मैंने इसको सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है, घटना में शरीक लोगों को दण्ड देना मेरे विभाग का काम है। मैंने 12 लोगों को जो इस सारे के सारे प्रकरण में दोषी पाये गये हैं, उनको निलम्बित तो मैंने पहले ही कर दिया, चार लोगों को मैंने गिरफ्तार करके उनको भी रख लिया। लेकिन उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैंने चलाकर कमिटेड इन्क्वायरी के लिए मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया। उन्होंने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसकी स्वीकृति दी। दीपक उप्रेती को मैंने उस काम के लिए लगाया और समयबद्ध लगाया। यह नहीं कि छह-छह साल तक केवल इन्क्वायरियां होती रहें और रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। हमने उसको दो महीने, साठ दिन के अन्दर इन्क्वायरी करके इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जहां दोषी होगा, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा से छोटा अधिकारी, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं इसको आश्वस्त करता हूं।

यह जो आप कई बार न्यायाधीश की इन्क्वायरी मांगते हैं, न्यायाधीश की इन्क्वायरी लगती बहुत अच्छी है लेकिन चार-चार साल तक उसका परिणाम नहीं आता है। परिणाम नहीं आने के कारण से घटना तो एक तरफ रह जाती है और केवल टोटका मात्र हो जाता है। उसका परिणाम नहीं आता है।

मैं आपको साठ दिन के अन्दर इस घटना का परिणाम लाकर सदन के सामने रखूंगा कि यह परिणाम आया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 । श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 अपने आप में एक जनहित की विधि है। विचारण न्यायालय से लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक

(श्री जोगाराम पटेल)

अनेक प्रकार की सिविल या क्रिमिनल मुकदमेबाजी होती है और उसका अंतिम परिणाम व्यर्थ ही जाता है। इस व्यर्थ मुकदमेबाजी से न केवल जनता का पैसा खर्च होता है बल्कि उस लिटिगेंट को भी अनाप-शनाप तरीके से तंग और परेशान किया जाता है। यह जो व्यर्थ मुकदमेबाजी रोकने का कानून है और जो आचरण है लिटिगेंट का सन् 1947 से लगाकर बराबर बार-बार एक्जामिन होता रहा है। हिन्दुस्तान आजाद होने से पूर्व तत्कालीन मद्रास प्रोविंस में ऐसा ही बिल लाया गया था, वह अंततोगत्वा हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद दूसरे रूप में पारित हुआ। केरल में भी ऐसा ही कानून पारित हुआ और अभी 2009 में एक कमीशन ने यह स्पष्ट रिपोर्ट दी थी कि व्यर्थ मुकदमेबाजी से जो सही मुकदमेबाजी है, वह रह जाती है। न उसका मैरिट पर एक्जामिनेशन हो पाता है, अधिक मुकदमेबाजी की वजह से न इतने न्यायाधीश मुकर्रर किये जा सकते हैं और न इतना खर्चा अफोर्ड किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में कमीशन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पहल कर यह जो राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 लाया गया है, उसके लिए मैं आदरणीय ला मिनिस्टर साहब को मेरी ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यह निवेदन भी करता हूं कि वर्तमान में इस कानून की सख्त आवश्यकता है। विधान सभा में राजस्थान में पैंडिंग 3 लाख मुकदमों का विवरण आया, विचारण न्यायालय के अलग से मुकदमों का विवरण आया, चाहे क्रिमिनल हों चाहे सिविल हों, उसका आया, पीआईएल के नाम से जो मुकदमे हुए, आजकल ट्रिब्यूनल में, लोकायुक्त में, एनजीटी में मुकदमों का विवरण आया, उस आधार पर मेरा निवेदन है कि यह राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 लाया गया है वह सही है।

मैंने अपने जनमत जानने का जो प्रस्ताव निवेदन किया, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 में मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया था, मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 लेकर आयी है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं क्योंकि ऐसे व्यर्थ मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। यह एक प्रोग्रेसिव कदम है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 सदन में विचार के लिए लिया गया है, यह राजस्थान में अपनी किस्म का एक नया कानून बनने जा रहा है। वैसे तो मैं समझता हूं कि इस कानून को पारित करने से पहले सदन व्यापक चर्चा करता कि इसको क्यों लाने की आवश्यकता हुई। इस पर व्यापक चर्चा होती। यह भी चर्चा होती कि कहीं यह संविधान के अनुच्छेद 13 और 13(2) का वायलेशन तो नहीं कर रहा। इसके एक-एक पहलू पर अगर गम्भीरता से चर्चा होती और उसके बाद यह सदन पारित करता तो बहुत अच्छा होता। नया कानून है, लम्बे समय तक प्रदेश में प्रभावी रहेगा। परन्तु हाउस आर्डर में नहीं है, चर्चा किया जाना सम्भव नहीं है।

मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी आज्ञा से उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्री सुखराम विश्नोई।

(अनुपस्थित)।

श्री मानसिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015, निश्चित रूप से ऐसे विधेयक की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विभिन्न आयोगों की सलाह के आधार पर जो यह विधेयक लाया गया है, उससे जनता को त्वरित न्याय मिलेगा, लाभ मिलेगा और फालतू की मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह कानून सार्थक होगा।

मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको आपकी अनुमति से वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री मनोज कुमार।

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री मोहनलालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए लिखा था, उसको मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 जो सरकार के द्वारा लाया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और आने वाले समय में इसका आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

जो जनमत जानने के लिए मैंने परिचालित किया था, इसको मैं आपसे वापस लेने की अनुमति चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने हेतु भेजने का प्रस्ताव दिया है। मैं सरकार की इसके लिए प्रशंसा करता हूं। न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, लगातार आधारहीन मामले न्यायालयों में फाइल किये जाते हैं। केवल निर्दोष और विधि का पालन करने वाले व्यक्तियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी होती थी। उसके निवारण के लिए यह जो बिल लाया गया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः सुश्री कीर्तिकुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत

(सुश्री कीर्तिकुमारी)
जानने हेतु परिचालित करने का जो मैंने प्रस्ताव रखा, उसको वापस लेने की आपसे अनुमति चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता।

श्रीमती अलका सिंह

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 सरकार की एक सकारात्मक और सार्थक पहल है। लेकिन हाउस आर्डर में नहीं है इसलिए मैंने जो जनमत जानने के लिए परिचालित किया था, उसे वापस लेने की सदन से अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार (जायल)।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय में विलम्ब न्याय न मिलने के बराबर ही है। काफी समय से इस प्रकार की एक विधि की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी क्योंकि न्यायालय का अनावश्यक और आधारहीन मामलों में समय और धन दोनों बरबाद हो रहा था। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक यहां पर पेश किया है। साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो लाखों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके लिए उन्होंने सकारात्मक पहल करते हुए न्याय आपके द्वार प्रोग्राम चलाया और मुकदमों की संख्या में कमी आयी। अभी जो राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पेश किया गया है, इसके द्वारा निश्चित रूप से हमारे यहां पर त्वरित न्याय होगा और जो न्यायालयों का कीमती समय व धन है, दोनों की बचत होगी।

अत: मैंने इस विधेयक को जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है, उसे वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर।

श्री रमेश।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 के संदर्भ में मैंने जनमत जानने हेतु जो निवेदन किया था, मैं उसे वापस लेने का निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पर मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया था, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया था, उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए दिया था, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन हाउस आर्डर में नहीं होने की वजह से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मानसिंह, श्री रामचन्द्र, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री कैलाश चौधरी, श्री केसाराम चौधरी, सुश्री कीर्तिकुमारी, श्रीमती अलका सिंह, डा. मंजू बाघमार, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री शुभकरण चौधरी, श्री देवेन्द्र कटारा, श्री फूलसिंह मीणा, श्री गोरधन, श्री हरिसिह रावत ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2, श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और आदरणीय विधि मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन साथ में मैंने कुछ निवेदन भी किया है। अगर इसके नाम से पढ़ा जाए तो नाम से पढ़ने पर कोई भी मुकदमा होगा वह तंग ही करेगा। तंग करने वाली मुकदमेबाजी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। मुकदमे से कभी कोई राज़ी नहीं होता, मुकदमा हमेशा तंग ही करता है। पक्ष में होगा तो भी तंग करेगा, विपक्ष में होगा तो भी तंग करेगा। इसलिए इसमें मैंने एक संशोधन दिया है, व्यर्थ में, व्यर्थ में तंग करता है, अननेसेसरी तंग करता है, 'with unreasonable cause' से तंग करता है, उसके लिए होना चाहिए, अदरवाइज इसका नाम ठीक नहीं है। इसलिए मेरा पहला निवेदन है कि इसके सब सैक्शन 1 में तंग करने वाली से पहले "व्यर्थ में तंग करने वाली", कोई रीजन नहीं है, वह तंग कर रही है, "व्यर्थ" शब्द जोड़ना इसमें जरूरी है। यह मैंने पहला निवेदन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति परिचित हैं कि यहां सिविल व क्रिमिनल कोर्ट में जो मुकदमेबाजी हो रही है, उस मुकदमेबाजी को रोकने का निवेदन अवश्य किया गया है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके अलावा और ऐसी अनेक कोर्ट हैं जिनमें ज्यादा मुकदमेबाजी हो रही है- अधिकरण है, ट्रिब्यूनल हैं, एनजीटी है, लोकायुक्त है। इन न्यायालयों में भी अनेक तरह की बिना किसी आधार की शिकायतें प्रस्तुत हो जाती हैं। चाहे विभाग का अधिकारी है, चाहे पब्लिक आफिसर है, चाहे सिविल लिटिगेंट है,

(श्री जोगाराम पटेल)

उसको अनेक वर्षों तक उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाद में जाकर उसका निर्णय निल निकलता है।

मेरा इसमें निवेदन यह भी है कि सिविल व क्रिमिनल कोर्ट के साथ-साथ इसमें वर्ड अधिकरण, एनजीटी और लोकायुक्त, ये तीनों शब्द भी जोड़ें, क्योंकि ज्यादातार परेशानी आजकल इनसे हो रही है।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

इसके सैक्शन 2 के सब सैक्शन (2) में दो स्थानों पर मैंने यह निवेदन किया है।

तीसरा, मैंने इसी में एक प्रोविजो जोड़ने का भी निवेदन किया है और वो प्रोविजो इसलिए जोड़ा जाना आवश्यक है कि इसमें वर्ड न्यायालय और दांडिक न्यायालय जो लिया गया है, सी आर पी सी में मजिस्ट्रेट है, जब तक आप इसको, मजिस्ट्रेट को डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि सीआरपीसी के तीन पार्ट हैं, प्रिवेंटिव मैजर्स भी होते हैं। उसमें कोई दांडिक कार्रवाई नहीं है, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के पावर हैं 107 से लगाकर 148-149 तक और फिर क्रिमिनल के सैकण्ड चैप्टर 4, 5, 9 हैं उनमें भी है। इसीलिए मैंने इसमें यह निवेदन किया है कि इसमें प्रोविजो जोड़ा जाए।

एक प्रोविजो जिसके लिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा सैक्शन 4 है, सैक्शन 4 के बाद में एक अनलिमिटेड पावर है उसको व्यर्थ में मुकदमेबाजी डिक्लेयर करने का। लेकिन इसकी कोई न कोई लिमिट होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें प्रोविजो यह निवेदन किया है कि इसमें प्रोविजो जोड़ें कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसका निस्तारण किया जाए। नहीं तो व्यर्थ मुकदमेबाजी, व्यर्थ मुकदमा करने का एक और आधार बन जाएगा। आपने एप्लीकेशन लगायी, हाई कोर्ट में 5 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल इसका निस्तारण ही नहीं। मेरा निवेदन यह है कि 6 माह की अवधि में, 3 माह की अवधि में, सालभर की अवधि में उसका निस्तारण हो, ऐसा प्रोविजो भी जोड़ा जाए।

लास्ट में जो मैंने निवेदन किया है, वो जरूरी भी है। अगर मुझे एक बार डिक्लेयर कर दिया कि मैं व्यर्थ मुकदमेबाजी करने वाला व्यक्ति हूं और मेरी प्रोपर्टी पर कोई जाकर अतिक्रमण करता है, डैमेज करता है और मैं कोर्ट में जाता हूं तो मैं तो मुकदमा कर ही नहीं सकता। तो मुझे उस राइट से

(श्री जोगाराम पटेल)

वंचित नहीं किया जा सकता कभी भी। जो मेरा प्रोपर्टी राइट है, मेरा जैनुइन राइट है। अगर मैं उसकी परमिशन लूं और कोर्ट में जाऊं तब तक तो मेरी प्रोपर्टी डैमेज हो जाएगी, मेरी प्रोपर्टी पर ट्रेस-पास हो जाएगा, मेरी प्रोपर्टी का राइट चला जाएगा। इसीलिए जो पर्सनल राइट की प्रोपर्टीज हैं, उसमें अपने प्रोप्राइटरी राइट के लिए अगर कोर्ट में जाऊं तो इसे इस एक्ट से अफैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरा पर्सनल राइट है, मैं प्रोपर्टी के लिए जा रहा हूं।

तो ये संशोधन मैंने आपके सामने रखे हैं और उनका संक्षेप में मैंने आपके सामने निवेदन किया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे।

इस स्टेज पर मैं इन्हें वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): श्रीमान् मैंने सभी खण्डों के अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना आपके सामने की है, उसको कंसीडर किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 से 7 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 7 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 से 7 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 –अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारेबाजी)

विधेयक का पारण

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रगतिशील विधेयक आज सदन के सामने विचारार्थ है- राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 या राजस्थान वैक्सेशस लिटिगेशन (प्रिवेंशन) एक्ट, 2015 । उपाध्यक्ष महोदय, विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2005 को भारत सरकार को सौंपी थी। एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में आयोग बना, आयोग ने यह कहा कि अब वो समय आ गया जब कुछ लोग जो बिना किसी कारण से, व्यर्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने राजनैतिक उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत वैमनस्य के लिए, व्यावसायिक और सामाजिक प्रतियोगिता के अन्दर किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जान-बूझकर मुकदमे करते हैं, उन मुकदमों पर अंकुश लगाना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी विधि आयोग ने अपनी 189वीं रिपोर्ट में इसी प्रकार की अभिशंसा की थी। मद्रास, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान 5वां प्रदेश बना है जो राजस्थान वैक्सेशस लिटिगेशन (प्रिवेंशन) एक्ट, 2015 लेकर आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, संवैधानिक रूप से यह समवर्ती सूची का विषय है। माननीय सदस्य कह रहे थे, इसमें कहीं मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, इसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। इससे पहले जब मद्रास के अन्दर यह एक्ट पास हुआ था तब पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी अपनी विवेचना करके इस पूरे कानून को सही पाया था और उसी आधार पर यह लेकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है, इस कानून के पीछे सरकार की मंशा है कि लोग कानून के इस फायदे को लेकर मुकदमेबाजी करके निहायत ही समय खराब करते हैं। आज राजस्थान के अन्दर राजस्थान उच्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायालय में 2 लाख 28 हजार 888 मुकदमे लम्बित हैं, इन मुकदमों में 10 से 15 परसेंट वो मुकदमे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके दुरुपयोग का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसके अन्दर महाधिवक्ता और महाधिवक्ता के साथ रजिस्ट्रार जनरल आफ हाई कोर्ट, ये ही मुकदमा दायर करेंगे लिटिगेट घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय के सामने। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रगतिशील कानून को पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई और सदस्य बोलना चाहेगा?

प्रश्न यह है कि राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.38 बजे मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सड़क दुर्घटना प्रकरणों में पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को समाप्त करने की योजना

43. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सड़क दुर्घटना सहित अन्य विभिन्न घटनाओं में मृत्यु के उपरान्त पोस्टमार्टम करवाया जाना अनिवार्य नहीं है? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में? तत्सम्बन्धित नियमों व आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में ऐसे प्रकरणों में पोस्टमार्टम परिजनों की इच्छा पर ही किया जाता है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दौसा जिले में दुर्घटना उपरान्त मृत्यु के लगभग सभी प्रकरणों में परिजनों की इच्छा न होने के उपरान्त भी शवों का पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत यदि अन्वेषण अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह नही हो तो पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक नहीं होगा। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

अन्य घटनाओं/दुर्घटनाओं में मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है।

(2) यह सही है कि उक्त आदेशों की पालना में सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटनाओं के प्रकरणों में पोस्टमार्टम परिजनों की इच्छा से ही किया जाता है। अन्य घटना/दुर्घटनाओं में नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाया जाता है जिसमें परिजनों की सहमति आवश्यक नही है।

(3) दौसा जिले में सड़क/रेल दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य दुर्घटना से मृत्यु के सभी प्रकरणों में मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाता है। राजस्थान पुलिस नियम 1965 अनुच्छेद 6.35 की प्रति परिशिष्ट-ब तथा स पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगरपुर में नवीन जनजाति छात्रावासों की स्थापना

44. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में गांव गलन्दर, थाणा, शिशोद, खेडा कच्छवासा व गडा मौरेया में बालकों हेतु जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव गामडी अहाडा, कनबा, माथूगामडा में जनजाति कन्या छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांव गलन्दर, थाणा, शिशोद, खेडा कच्छवासा व गडा मौरेया में बालकों हेतु जनजाति छात्रावास खोले जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं है। छात्रावास खोलने का निर्णय क्षेत्रीय आवश्यकता व बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांव गामडी अहाडा, कनबा, माथूगामडा में जनजाति कन्या छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं है। छात्रावास खोलने का निर्णय क्षेत्रीय आवश्यकता व बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

बालोतरा में बंद फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने की योजना

45. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक नगरी बालोतरा पश्चिमी राजस्थान में रोजगार का केन्द्र है?

(2) क्या यह भी सही है कि बालोतरा में वस्त्र धुलाई का कार्य काफी समय से बंद है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार औद्योगिक नगरी बालोतरा में बंद फैक्ट्रियों को पुनः शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वस्त्र धुलाई से सम्बन्धित इकाइयों का प्रदूषित जल लूनी नदी में छोड़ने के कारण माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार वस्त्र धुलाई का कार्य बंद है।

(3) माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर वाद के निर्णय के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

श्रीगंगानगर में जूस प्लांट की स्थापना

46. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले में बागानों की संख्या व फलों की उपज के आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय पर जूस प्लांट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त जिले के कितने बागानों में ड्रिप इर्रिगेशन प्रणाली से सिंचाई की जाती है? क्या सरकार उक्त जिले में ड्रिप इर्रिगेशन प्रणाली को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के किसानों को अपने बागानों के उत्पादों की वैक्सिंग के लिए अन्य राज्यों तथा निजी कम्पनियों पर निर्भर रहना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जिले में वैक्सिंग प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2014-15 तक 6937 हैक्टेयर बागानों में ड्रिप इर्रिगेशन राजकीय सहायता से स्थापित कराई जा चुकी है। ड्रिप ईरीगेशन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु संयंत्र स्थापना पर राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 45 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को निर्धारित इकाई लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में निजी क्षेत्र में 14 किन्नों ग्रेडिंग वैक्सिंग प्लांट स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा वैक्सिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जोधपुर डिस्काम क्षेत्र में करंट से हुई मृत्यु पर देय सहायता

47. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के पास स्थित ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी, सांगरिया, तनावडा, झालामण्ड, नान्दडा कलां एवं नान्दडी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा बिजली के बिलों में बिजली उपयोग के अलावा 'शहरी चार्ज' लगाकर वसूला जा रहा है? यदि हां, तो कब से एवं किस दर से? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधिकार में पिछले 3 वर्षों में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों की मृत्यु ड्यूटी करने के दौरान करंट लगने से हुई और ऐसी मृत्यु के मुख्य क्या-क्या कारण रहे तथा सरकार द्वारा मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को क्या-क्या सुविधा व सहायता उपलब्ध करवाई गई?

(3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधिकार में पिछले 3 वर्षों में कितने व्यक्तियों/पशुओं की मृत्यु बिजली के करंट लगने से हुई तथा सरकार द्वारा उक्त मृत व्यक्तियों/पशुओं के परिवार वालों को कितना मुआवजा अदा किया गया ? क्या सरकार भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई ठोस उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त क्षेत्रों में दिनांक 01.04.2012 से 15 पैसे प्रति यूनिट ऊर्जा खपत की दर से शहरी चार्ज (Urban Cess) वसूल किया गया है। नियमों की प्रति प्रपत्र 'अ व ब' पर उपलब्ध है।

(2) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधिकार में पिछले तीन वर्षों में 78 कर्मचारियों की ड्यूटी करने के दौरान करंट लगने से मृत्यु हुई है और ऐसी घातक दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में सुरक्षा उपकरणों का समुचित उपयोग नहीं करना व कार्य करते समय असावधानी बरतना रहा। उक्त कर्मचारियों के परिवारों/आश्रितों को निगम नियमानुसार देय परिलाभ/मुआवजा राशि, पारिवारिक पेंशन, पात्र आश्रितों को निगम में अनुकम्पा नियुक्ति सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाई गई।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधिकार में पिछले तीन वर्षों में 342 व्यक्तियों की तथा 613 पशुओं की करंट लगने से मृत्यु हुई तथा इन मृत व्यक्तियों के परिवारों/आश्रितों को 818.13 लाख रुपये तथा मृत पशुओं के मालिकों को 86.05 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा की गई। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु डिस्काम द्वारा विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण हेतु ढीले तारों को खिंचवाने, जर्जर पोलों को बदलने, लम्बे स्पान के बीच नये इंटरमिडिएट पोल लगवाने तथा कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का समुचित प्रयोग करने हेतु कार्यशाला का आयोजन करने आदि कार्य अभियान चलाकर किये जा रहे हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-48

(स्थगित)

आहौर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

49. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर में गत पांच वर्ष में कहां-कहां नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मय स्थान के सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर में गत पांच वर्ष में कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहौर में वर्तमान में कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र में संचालित 262 केन्द्रों में से 151 विभागीय भवनों में, 44 स्कूल भवनों में 06 अन्य सरकारी भवनों में व शेष 61 नि:शुल्क रूप से उपलब्ध हैं, अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं।

निवाई (टोंक) में ट्रोमा अस्पताल की स्थापना

50. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टोंक-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोंक से जयपुर के मध्य कोई ट्रोमा अस्पताल नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए टोंक से जयपुर के मध्य निवाई शहर में नया ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में 50 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), चिकित्सा अधिकारी (अस्थि रोग एवं निश्चेतन) के एक-एक पद स्वीकृत है तथा एक्सरे, ईसीजी इत्यादि जांच सुविधाऐं, ब्लड स्टोरेज एवं 108 तथा बेस रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में दुर्घटनाग्रस्त रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय टोंक लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत है इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-51

(असूचीबद्ध)

प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की योजना

52. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने के लिए घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रदेश में महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या सरकार महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति विभाग को जो अधिकार व शक्तियां दी गई हैं वह शक्तियां प्रदेश में भी उक्त विभाग को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बजट सत्र के दौरान महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में जनजाति उपयोजना प्रणाली के अध्ययन हेतु कमेटी गठन की घोषणा के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.33()सीटीएडी/टीएडी/प्लान/एम.पी.स्टेडी/2014-15 दिनांक 8.6.15 द्वारा गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य की जनजाति उपयोजना प्रणाली के अध्ययन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया (आदेश की प्रति संलग्न)। कमेटी द्वारा 17 जून से 23 जून, 2015 तक गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में जनजाति उपयोजना प्रणाली का अध्ययन किया गया। कमेटी के अध्ययन की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य सरकार राजस्थान में महाराष्ट्र प्रणाली से सम्बन्धित गठित कमेटी की रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने के बारे में समुचित निर्णय लेगी। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार राजस्थान में महाराष्ट्र प्रणाली से सम्बन्धित गठित कमेटी की रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त महाराष्ट्र में जनजाति विभाग को जो अधिकार व शक्तियां दी गई हैं वह शक्तियां राजस्थान में लागू करने के बारे में समूचित निर्णय लेगी।

परिशिष्ट–अ

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं. 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
Email :-ds.tad@rajasthan.gov.in website:- www.tad.rajasthan.gov.in
Phone :- 0141-2227047, Fax : 0141-2227281

क्रमांक : एफ 33()सीटीएडी/टीएडी/प्लान/एमपीस्टडी/2014-15

जयपुर, दिनांक 8/6/15

आदेश

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 696 का दिनांक 26 फरवरी, 2015 को विधान सभा में उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय द्वारा महाराष्ट्र

पेटर्न का अध्ययन करने हेतु एक कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की अनुपालना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में जनजाति उपयोजना के प्रावधानों के अध्ययन हेतु दिनांक 17 जून, 2015 से 25 जून, 2015 तक यात्रा करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. श्री नन्द लाल मीणा, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
2. श्री धनसिंह रावत, माननीय विधायक, बांसवाड़ा।
3. श्री श्रीचन्द कृपलानी, मानीनय विधायक, छोटी सादड़ी।
4. श्री सुशील कटारा, माननीय विधायक, चौरासी।
5. श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक, कोटा उत्तर।
6. श्री रामचन्द्र, माननीय विधायक, डग।
7. श्री ललित कुमार, माननीय विधायक, शाहबाद।
8. श्री खेमराज, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
9. श्री भवानी सिंह देथा, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
10. श्री दिनेश सिंघवी, विशेषाधिकारी, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि के रूप में।
11. श्री बाबूलाल कटारा, निदेशक सांख्यिकी टीआरआई, उदयपुर।
12. श्री पंकज कुमार मिश्रा, संयुक्त निदेशक (कृषि) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
13. श्री जिनेन्द्र जैन, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
14. श्री अशोक बाबू यादव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में।
15. श्री लल्लू लाल शर्मा, एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारी वर्तमान में माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय में कार्यरत।

आज्ञा से,

पी.सी. बेरवाल

संयुक्त शासन सचिव

महिन्द्रा सेज की आरक्षित जमीन बेचने से प्राप्त होने वाला राजस्व

53. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) क्या यह सही है कि महिन्द्रा सेज की डवलपर कम्पनी महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी को जयपुर जिले में स्कूल, पार्क तथा सड़कों के लिए रिजर्व जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए बेचने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय में विधि एवं वित्त विभाग की सहमति ली गई या नहीं ? इस निर्णय से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी सरकारी समिति द्वारा सेज में एम.ओ.यू. के मुताबिक निवेश नहीं होने व रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के लिए महिन्द्रा सेज कम्पनी से पुन: जमीन लेने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमेटी की सिफारिश को मंजूर करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड को सेज परियोजना के लिए आबंटित भूमि में स्कूल, पार्क तथा सड़कों के लिए भूमि रिजर्व नहीं थी। राज्य सरकार की केबिनेट ने परियोजना की मूल भावना जो निवेश को आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना थी, उसके दृष्टिगत कम्पनी की मूल योजना में बदलाव की स्वीकृति देकर औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि में बढ़ोतरी का अनुमोदन किया। इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय में विधि एवं वित्त विभाग की सहमति नहीं ली गई क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं थी।

यहां पर राज्य सरकार ने जमीन का कोई लैण्ड यूज चैंज नहीं किया है, अपितु वर्ष 2006 में ही इस परियोजना की जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन एवं ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक, स्पेशल इकोनोमिक जोन में अनुमत अन्य उपयोग एवं मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी थी। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अभी भी इस परियोजना में 446 एकड़ भूमि पर सामाजिक संरचना सुविधायें विकसित करने का प्रावधान है।

चूंकि कोई लैण्डयूज चैंज नहीं किया गया है। अत: राजस्व प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं है।

(2) राजकीय उपक्रम समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में रीको को अभी तक किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के किसान भवनों में सरकारी कार्यालय खोलने की योजना

54. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज मण्डियों में किसान भवन बनाये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में कितनी कृषि उपज मण्डी ऐसी हैं, जहां पर किसान भवन बनाये तो जा चुके हैं किन्तु इन्हें उपयोग में नहीं लिया जा रहा है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऐसे कई राजकीय कार्यालय हैं जिनके पास अपने स्वयं के भवन नहीं हैं और निजी भवनों में किराये पर संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपयोगहीन किसान भवनों को ऐसे अभावग्रस्त राजकीय कार्यालयों को देखरेख के साथ उपयोग में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तथा अन्य जिला मुख्यालयों पर सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा किसान भवन बनाये गये हैं। प्रदेश में कुल 33 किसान भवन निर्मित हैं। सभी किसान भवनों में कृषकों एवं अन्य आगन्तुकों के ठहरने के लिए समस्त मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हैं। सभी किसान भवन संचालित हैं।

(2) जी हां। राज्य में किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि एवं कृषि विपणन से सम्बन्धित नवीनतम जानकारियां एवं प्रशिक्षण देने तथा इनके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से किसान भवनों का निर्माण कराया गया है। विभाग इन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। इसलिए किसान भवनों को राजकीय कार्यालयों को देखरेख के साथ किराये पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में अभियान चलाकर घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की योजना

55. श्री गोरधन (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अभियान चलाकर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री गोरधन)

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धोद में कनेक्शन देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या जो लोग ढाणियों व खेतों में रहते हैं, उनको भी घरेलू कनेक्शन दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा बी.पी.एल. व्यक्तियों को घरेलू कनेक्शन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र व राज्य सूची में दर्ज बी.पी.एल. व्यक्तियों को कनेक्शन दिया जाएगा ? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जनता को घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने एवं बिजली चोरी की रोकथाम हेतु "हर घर बिजली डिस्काम आपके द्वार" अभियान (दिनांक 30.08.2015 से 11.10.2015 तक) चलाकर वंचित घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में राज्य के अन्य क्षेत्र की भांति विधान सभा क्षेत्र धोद में भी जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध है वहां घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है वहां आगामी वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विद्युत तंत्र विकसित कर घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जावेंगे।

(3) जी हां। सरकार द्वारा सभी बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन दिये जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रावधानों के तहत सभी बीपीएल आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत हो चुकी है। जिसके तहत 12वीं व 13वीं पचंवर्षीय योजना में सभी बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

देवाली ग्राम (उदयपुर) में आम रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

56. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के राजस्व ग्राम देवाली, पटवार मण्डल शोयागपुरा, तहसील बड़गांव के आराजी नम्बर 2150 के पास साईफन चौराहा-नवरत्न काम्प्लेक्स जाने वाली रोड पर नदी के रपट के पास पुलिया के सहारे नदी में आम रास्ते को पक्की चारदीवारी कर बंद कर दिया गया है ?

(श्री निर्मल कुमावत)
यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दीवार बनाने से नदी के पेटे की अधिकांश सरकारी भूमि पर अतिक्रमी भूमाफिया द्वारा कब्जा कर लिये जाने से आम रास्ता बंद हो जाने के कारण आने-जाने वालों को असुविधा हो रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार को अनेक बार शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो की गई शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसीलदार बड़गांव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम देवाली पटवार मण्डल शोयागपुरा तहसील बड़गांव के आराजी नम्बर 2150 के पास साईफन चौराहा नवरत्न काम्पलेक्स जाने वाली रोड पर नदी के रपट के पास पुलिया के सहारे नदी के आम रास्ता राजस्व रेकार्ड में नही है। श्री हेमेन्द्र चोर्डिया के प्रार्थना पत्र पर सर्वे टीम बनाकर जांच करवाई गई जिसके अनुसार नदी की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया।

(2) जी नहीं। सर्वे टीम द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके से सर्वे करने के पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 2150 व 2149 में कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं मौके पर भी कोई रास्ता नहीं चल रहा है। उपरोक्त आराजी के खातेदारों का नदी में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

(3) जी हां। श्री हेमेन्द्र चोर्डिया निवासी भुवाणा द्वारा तहसीलदार बड़गांव को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का से रेकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट चाही गई थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया गया परन्तु सर्वे टीम गठित कर सर्वे करने हेतु निवेदन किया गया जिसकी सर्वे भू-अभिलेख निरीक्षक बड़गांव, भुवाणा एवं पटवारी हल्का शोयागपुरा से करवाई गई जिन्होंने मौके पर कोई रास्ता नहीं होना बताया गया। (प्रतियां परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शेरगढ़ में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की योजना

57. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबू सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2009 से जुलाई, 2015 तक कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सुचारु रूप से स्वीकृत कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कौनसे राजस्व गांवों में नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास विभागीय प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में 2 परियोजनाओं यथा शेरगढ़ व बालेसर संचालित है। परियोजना शेरगढ़ में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ एवं लौहावट आते हैं जिसमें दिसम्बर 2009 से अब तक कुल 31 मुख्य 69 मिनी केन्द्र स्वीकृत किये गये जिसमें से लोहावट में 9 मुख्य एवं 30 मिनी केन्द्र व शेरगढ़ में 22 मुख्य एवं 39 मिनी केन्द्र स्वीकृत किये गये एवं परियोजना बालेसर में 22 मुख्य 41 मिनी केन्द्र स्वीकृत किये गये। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र परियोजना शेरगढ दिसम्बर 2009 में स्वीकृत 31 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 30 एवं स्वीकृत 39 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 34 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा परियोजना बालेसर में स्वीकतृ 22 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 20 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व स्वीकतृ 41 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 31 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है। परियोजना शेरगढ़ में 01 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा बालेसर परियोजना में 02 आंगनबाड़ी केन्द्र व 10 मिनी

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)
आंगनबाड़ी केन्द्र निर्धाररित योग्यताधारी इच्छुक पढ़ी लिखी महिलाएं उपलब्ध न होने के कारण केन्द्र संचालित नहीं हो सके हैं। संचालित नहीं हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी, हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत करने के लिए भारत सरकार को अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। भारत सरकार की अनुमति के बाद क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं की सूची परिशिष्ट 'स' पर तथा जिन राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी हां। किन्तु नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए राजस्व ग्राम होने का मापदण्ड नहीं रखा गया है। इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्र की जनसंख्या मापदण्ड निर्धारित है।

भारत सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 14-1/2004-सीडी-1(Vol II) दिनांक 10.04.2007 के अनुसार 150 से 300 की जनसंख्या के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 300 से 400 की जनसंख्या के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वंचित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुशंसा के आधार पर निदेशालय द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किया जाता है।

(6) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में 10 नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। नये आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जैसलमेर जिले में चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. के रिक्त पद

58. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले के चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों व ए.एन.एम. के कितने पद सृजित हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? कौन-कौन से पद पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं ? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छोटू सिंह)

(2) उक्त जिले में नवनियुक्त कितने चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है? क्या सरकार पदभार ग्रहण न करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का पदस्थापित कार्मिक के नाम तथा पदस्थापन दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में 15 चिकित्सकों को नवनियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन किया गया था जिनमें से 05 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण किया गया तथा 10 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। नियुक्ति आदेश में अंकित शर्त अनुसार चिकित्सकों द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दौड़ के प्रावधानों में संशोधन करने की योजना

59. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता के परीक्षण हेतु 10 कि.मी. की दौड़ के प्रावधान को जब से लागू किया गया है तब से आज तक कुल कितने अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान एवं दौड़ के कारण मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार इस जानलेवा एवं अव्यवहारिक दौड़ को 10 कि.मी. से कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा मृतक अभ्यर्थियों के परिवारजनों को मुआवज़ा दिया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस कानिस्टेबल भर्ती में 10 किमी. की दौड़ वर्ष 2010 से लागू होने के पश्चात एक घटना जिला श्रीगंगानगर में कानि. भर्ती के

(गृह मंत्री)
दौरान एक अभ्यर्थी की दिनांक 04.07.2011 को तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई थी।

(2) शारीरिक रूप से सक्षम एवं स्वस्थ अभ्यर्थियों के चयन की दृष्टि से 10 कि.मी. की दौड़ कराई जाती है। दौड़ से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी को ही उक्त दौड़ में भाग लेने का प्रावधान है। दौड़ एवं शारिरिक दक्षता सम्बन्धी नियम परीक्षणाधीन है।

(3) मृतक अभ्यर्थियों के परिवारजनों को वर्तमान में मुआवज़ा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

झुन्झुनूं में खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना

60. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के तहत झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या व्यवस्थाएं की जानी थीं और उनमें से अब तक क्या-क्या व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उक्त खेल विश्वविद्यालय प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के तहत झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है।

(2) विश्वविद्यालय हेतु कुलपति एवं विशेषाधिकारी के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति जारी कर दी है। विश्वविद्यालय हेतु टेलीफोन, किराए के वाहन एवं किराए पर कार्यालय भवन लिए जाने की स्वीकृति भी जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कुलपति के पद पर श्री एल.एस. राणावत की नियुक्ति हो चुकी है तथा विशेषाधिकारी के पद का अतिरिक्त

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

कार्यभार अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं को दिया हुआ है एवं सहायक लेखाधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार डाइट, झुंझुनूं के सहायक लेखाधिकारी को दिया हुआ है।

(3) विश्वविद्यालय को प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

तम्बाकू पर टैक्स कम करने से होने वाले दुष्प्रभाव

61. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में तम्बाकू पर वर्ष 2009-10 से अब तक कितना-कितना टैक्स लागू रहा है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में तम्बाकू पर टैक्स घटाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा पहले कितना था और अब उसको घटाकर कितना किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तम्बाकू के उपयोग से वर्तमान में प्रदेश में कितने लोगों की प्रतिवर्ष मौतें हो रही हैं और उक्त टैक्स में कमी करने से इनमें कितना इजाफा होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तम्बाकू पर वर्ष 2009-10 से आदिनांक तक कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

अवधि	कर की दर (प्रतिशत में)
08.07.2009 से 08.03.2011	20
09.03.2011 से 25.03.2012	40
26.03.2012 से 05.03.2013	50
06.03.2013 से 11.06.2015	65
12.06.2015 से आदिनांक तक	45

(2) जी हां। राज्य में तम्बाकू उत्पादों की कर दरें पड़ौसी राज्यों की तुलना में अधिक होने से राज्य में तम्बाकू उत्पादों का अवैध कारोबार बढ़ गया था और राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उक्त परिपेक्ष्य में तम्बाकू की दर को तर्कसंगत बनाया गया। इस क्रम में अधिसूचना दिनांक 12.06.2015 द्वारा तम्बाकू पर कर की दर को 65 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया गया।

(वित मंत्री)

(3) तम्बाकू के उपयोग से प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाली मौतों के सम्बन्ध में अलग से कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है और न ही टैक्स में कमी करने से इनमें इजाफा होने के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया जा सकता है।

मकराना के पटवार भवनों की मरम्मत

62. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों के निवास एवं कार्यालय हेतु पटवार भवनों का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मकराना में किन-किन पटवार हल्कों में पटवार भवनों का निर्माण कब-कब व किस-किस योजना में करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पटवार भवनों के रख-रखाव व मरम्मत हेतु सरकार द्वारा बजट स्वीकृत करने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मकराना के पटवार भवनों हेतु गत 10 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना बजट आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबंटित बजट से उक्त विधान सभा क्षेत्र के पटवार भवनों की मरम्मत कराई गई है? यदि हां, तो किन-किन पटवार भवनों की मरम्मत कराई गई है व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पटवार भवनों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने के कारण सभी पटवार भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पटवार भवनों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पटवार भवनों की मरम्मत हेतु भविष्य में बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवार सर्किल हैं, तथा उनमें से कितने पटवार सर्किल में पटवार भवन बने हुये हैं? क्या सरकार भवन रहित पटवार भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यरत पटवारियों के निवास एवं कार्यालय हेतु पटवार भवनों का निर्माण करवाया गया था। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 3 पटवार भवन स्टेट समय के 6 पटवार भवन राजस्व विभाग द्वारा जिसमें 4 पटवार भवन काम के बदले अनाज योजना में बनाये गये एवं 13 पटवार भवन अकाल राहत योजना में ग्राम पंचायतों द्वारा बनवाये गये। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। गत 10 वर्षों में पटवार भवन मकराना की मरम्मत हेतु वर्ष 2012 में राशि 73000/- स्वीकृत की गई।

(3) जी हां। पटवार भवन मकराना की मरम्मत हेतु वर्ष 2012 में स्वीकृत राशि 73000/- का उपयोग सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाकर भवन की मरम्मत करवाई गई।

(4) जी हां। पटवार भवनों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने के कारण कई पटवार भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। विधान सभा क्षेत्र मकराना के क्षतिग्रस्त पटवार भवनों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) जी हां। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर पटवार भवनों की मरम्मत करवाई जा सकेगी।

(6) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 36 पटवार सर्किल हैं, जिनमें से पटवार मुख्यालयों पर 19 भवन निर्मित हैं तथा पटवार सर्किल इन्दोखा व कुकड़ोद के राजस्व ग्राम कमेसं गोठड़ी व सूंतली में पटवार भवन निर्मित हैं। 15 पटवार मण्डल भवन रहित हैं। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर पटवार भवन रहित पटवार भवनों का निर्माण करवाया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त भत्ता दिये जाने की योजना

63. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनी को वर्तमान में सरकार द्वारा क्या-क्या मानदेय दिया जा रहा है एवं उक्त मानदेय कब-कब बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प यात्रा-2013 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत उक्त कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने एवं उन्हें एकमुश्त वार्षिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणा को पूरा करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिन, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी को दिनांक 1.4.2013 से तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिनांक 4.7.2013 से दिया जा रहा मानदेय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। मानदेय में वृद्धि वर्ष 2009, 2011 व 2013 में की गई। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सुराज संकल्प यात्रा-2013 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत उक्त कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने एवं उन्हें एकमुश्त वार्षिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई थी तथा सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उक्त घोषणा को पूरा करने का विचार रखती है।

(3) जी नहीं। क्योंकि आईसीडीएस योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनी मानदेय सेवा पर कार्यरत हैं तथा साथिन का चयन मानदेय सेवाओं पर किया जाता है एवं यह स्वेच्छिक कार्यकर्ता होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोतर

प्रदेश के चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ देने की योजना

60. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ देने के सम्बन्ध में कोई नवीन निर्णय किया गया है? यदि हां, तो कब एवं क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किये गये नवीन निर्णय के बाद भी वर्ष 1990, 1991, 1992 एवं 1993 की आर.पी.एस.सी. में चयनित चिकित्सकों (जिनको अभी तक डी.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है) को डी.ए.सी.पी. का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किये गये नवीन निर्णय के कारण कई कनिष्ठ चिकित्सक को अपने से वरिष्ठ चिकित्सकों से अधिक वेतन मिलेगा? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

(4) क्या सरकार अब उक्त विसंगति को दूर कर सभी चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सकों को डीएसीपी देने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.1 (2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 12.06.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2015 दिनांक 11.07.2011 से प्रभावी किया गया है। अधिसूचना की छाया प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। जिसके द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24 (ख) के उप नियम (1) के विद्यमान अपवाद 4 के पश्चात् अपवाद 5, 6 एवं 7 जोड़े गये हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1992 की आरपीएससी में चयनित 84 चिकित्सा अधिकारी डीपीसी द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए हैं, इन चिकित्सकों की कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.06.2015 द्वारा किये गये संशोधन के बाद भी डीएसीपी के वास्तविक लाभ से वंचित रहने की सम्भावना है। क्योंकि उक्त वर्षों की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत चिकित्सक 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 11.07.2011 को 2 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते हैं।

वर्ष 1990 में आरपीएससी से चयनित सभी चिकित्सक नियमित डीपीसी से वर्ष 2008-09 तक पदोन्नत हो चुके हैं, तथा वर्ष 1992 में चयनित 87 चिकित्सक भी वर्ष 2008-09 में पदोन्नत हो चुके हैं, जिन्हें नवीन निर्णय से डीएसीपी का लाभ मिल सकेगा। वर्ष 1991 एवं 1993 में आरपीएससी से चिकित्सकों का नियमित चयन नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। कनिष्ठ चिकित्सकों को वरिष्ठ चिकित्सकों से पहले डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। डीएसीपी नियमों में रही विसंगतियों के निराकरण हेतु तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिशंसा पर दन्त चिकित्सा सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समकक्ष पद/कनिष्ठ विशेषज्ञ, जिनकी सन्तोषप्रद सेवा दिनांक 11.07.2011 को 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष एवं 24 वर्ष से अधिक हो चुकी है एवं उक्त पदों पर दो वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को दिनांक 11.07.2011 से डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत ग्रेड-पे 7600/- में पदोन्नत करने तथा उसके बाद क्रमशः 6-4-2 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड-पे 8700/- में पदोन्नत करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.06.2015 द्वारा डीएसीपी नियमों में 3 अतिरिक्त अपवाद जोड़े गये हैं।

(4) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में नियमित रूप से पदोन्नत चिकित्सकों (दन्त चिकित्सा सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ) को 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन में जब भी 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होती है, तब से डीएसीपी का लाभ दिये जाने पर विचार किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-61

(स्थगित)

वरिष्ठ शासन उप सचिव पद की स्वीकृति के मानदण्ड

62. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शासन सचिवालय में वरिष्ठ शासन उप सचिव के कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृति के क्या मानदण्ड है ? उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए

(श्री मोहन लाल गुप्ता)
क्या योग्यता एवं अनुभव निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य विभागों में भी वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन विभागों में कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? उक्त पद के लिए योग्यता एवं अनुभव की क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शासन सचिवालय व अन्य विभागों में उक्त पद के लिए योग्यता व अनुभव में अन्तर रखा गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अन्य विभागों में भी उक्त पद पर पदोन्नति के लिए शासन सचिवालय की भांति योग्यता व अनुभव रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में शासन सचिवालय में वरिष्ठ शासन उप सचिव के 36 पद स्वीकृत हैं।

राज्य सेवाओं में पदोन्नति का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु सम्बन्धित राज्य सेवा के कुल काडर स्ट्रेन्थ के 8 प्रतिशत के हिसाब से उच्च पदों का सृजन किया गया है।

योग्यता एवं अनुभव के सम्बन्ध में राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। शासन सचिवालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में वरिष्ठ शासन उप सचिव के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(3) जी नहीं। अन्य विभागों में वरिष्ठ शासन उप सचिव के पद स्वीकृत नहीं है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-क

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Group II)

No.F. I(10)DOP/A-II/86 Jaipur, dated 13-08-2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Secretariat Service (First-Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rules 6.- In sub-rule (1) of rule 6 of Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing clause (i), (ii) and (iii) shall be renumbered as clause (ii), (iii) and (iv) respectively.

(ii) before clause (ii), so renumbered, the following new clause (i) shall be added, namely:-

"(i) Super time Scale Posts:

Senior Deputy Secretary"

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules,

(i) the existing clause (i) and (ii) shall be renumbered as clause (ii) and (iii), respectively.

(ii) before clause (ii), so renumbered, the following new clause (i) shall be added, namely:-

"(i) The post of Senior Deputy Secretary shall be filled in by 100% by promotion from Deputy Secretary having experience of 30 years service in all including Secretariat Ministerial Service."

4. Amendment of rule 11C.- The existing rule 11C except its provisos of the said rules, shall be substituted by the following namely :-

"11C. Promotion to the Senior posts.- Promotion to the post of Senior Deputy Secretary shall be made from amongst Deputy Secretaries promoted from Assistant Secretaries/Registrar Cadre and Private Secretaries Cadre in the proportion of 13:10 of the total strength of Senior Deputy Secretaries and promotion to the post of Deputy Secretary shall be made from amongst Assistant Secretaries/Registrar and Private Secretaries in the proportion of 13:10 of the total strength of Deputy Secretaries and to the post of Assistant Secretaries

from amongst Section Officers on the basis of recommendations of a committee constituted as under :-

1. Chairman of Commission or a member there of nominated him	Chairman
2. The Chief Secretary or a Secretary To Government nominated by the Chief Secretary	Member
3. Principal Secretary to Government, Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary, Department of Personnel and not belonging to Rajasthan Secretariat Service."	Member Secretary

5. Amendment of rule 13.- After the existing proviso (iii) to rule 13 of the said rules, the following new proviso (iv) shall be added, namely :-

"(iv) that the separate seniority lists of the Deputy Secretaries promoted from Assistant Secretaries/Registrar and Private Secretaries shall be maintained, fro the purpose of promotion to the post of Senior Deputy Secretary."

By Order and in the name of the Governmor,

Dinesh Kumar Yadav

Joint Secretary to the Government

पृथ्वीराज नगर योजना की कालोनियों में विद्युत कनेक्शन से रोक हटाने की कार्यवाही

63. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के पृथ्वीराज नगर योजना की भूमि को सरकार ने वर्ष 2014 में अवाप्ति से मुक्त कर इनमें स्थित कालोनियों के निर्मित मकानों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन शुल्क लेकर पट्टे जारी करने के पश्चात् भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त कालोनियों में विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात नियमानुसार कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

बाड़मेर जिले में प्रस्तावित सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट

64. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) की योजनाओं के सबसे अधिक प्रोजेक्ट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलो में लग रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी कम्पनी वर्तमान में कहां-कहां पर कार्य कर रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले के कौन-कौन से स्थानों पर सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाये जाना प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिकांशतः सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर जिलों में लग रहे हैं, विवरण प्रपत्र 'क' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में बाड़मेर जिले में किसी भी निवेशक द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में दो से अधिक सन्तान वाले कार्मिकों की पदोन्नति से रोक हटाने की योजना

65. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 01 जून, 2002 के बाद में दो से अधिक संतान वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति पांच पदोन्नति/भर्ती वर्ष रोकने एवं ए.सी.पी. रोकने का प्रावधान नियमों में किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार को उक्त प्रावधानों/नियमों की पुर्नसमीक्षा करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं से और कब-कब? प्राप्त ज्ञापनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त पत्रों/ज्ञापनों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या देश के अन्य राज्यों में भी कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति को रोकने के सम्बन्ध में ऐसे प्रावधान हैं? यदि हां, तो किन-किन राज्यों में

(श्री हीरालाल)

क्या-क्या? सम्बन्धित आदेशों/नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रावधानों/नियमों को हटाने अथवा इनकी पुर्नसमीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नियमों में ऐसे प्रावधान करने का मूल उद्देश्य राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करना है, जो कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(2) जी हां। प्राप्त पत्रों/ज्ञापनों की प्रतियां परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(3) उक्त पत्रों/ज्ञापनों में उल्लेखित बिन्दु परीक्षणाधीन है।

(4) देश के सभी राज्यों से इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं हो पाई है। लेकिन कतिपय राज्यों से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में प्रावधानों की पुनर्समीक्षा की जा रही है। कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश की जेलों में बीमारी के कारण कैदियों की मृत्यु

66. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की जेलों में वर्तमान में कितने कैदी/विचाराधीन बंदी, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं ? कारागार वार तथा बीमारी वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जेलों में 1 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2015 की अवधि में कितने कैदियों, विचाराधीन बंदियों की विभिन्न बीमारियों से मृत्यु हुई ? मृतकों का कारागार वार व बीमारी वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की जेलों में वर्तमान में बीमारियों से पीड़ित कैदी, विचाराधीन बन्दियों का कारागार वार व बीमारी वार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(कारागार मंत्री)

(2) प्रदेश की जेलों में 1 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2015 की अवधि में विभिन्न बीमारियों से मृतक कैदी, विचाराधीन बंदियों का कारागार वार व बीमारी वार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ओसियां में फसल खराबे का मुआवजा

67. श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में मार्च व अप्रैल, 2015 में अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे का कितने कृषकों को मुआवजा की राशि का वितरण किया गया व कितनों को किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मुआवजा राशि से वंचित रहे कृषकों को मुआवजा राशि दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में मार्च व अप्रैल, 2015 में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे से प्रभावित 30,947 कृषकों को कृषि आदान अनुदान राशि का वितरण किया जा चुका है। 479 कृषकों को कृषि आदान अनुदान राशि का वितरण किया जाना शेष है।

(2) जी हां। प्रभावित पात्र कृषकों को एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार सहायता देय है।

हुडास ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध दर्ज फर्जी टी.सी. प्रकरण

68. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडनूं की ग्राम पंचायत हुडास के सरपंच के विरुद्ध फर्जी टी. सी. से चुनाव लड़ने का मुकदमा संख्या 38/2015 लाडनूं थाने में दर्ज हुआ है? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में और क्या अपराध प्रमाणित हो गये हैं? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही विचाराधीन है? एफ. आई. आर. की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) उक्त प्रकरण की जांच किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब की गई? जांच अधिकारी के नाम व जांच अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मुकदमे में अब चालान पेश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में अब तक चालान पेश नहीं करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और सरकार उन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 8/2015 दर्ज न होकर मु.नं. 38/15 धारा 420, 467, 468 थाना लाडनूं पर दर्ज हुआ है। प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से मुल्जिमा रसीदा बानो के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 193, 418 भा.द.सं. व धारा 18, 19 पंचायत राज. अधिनियम 1994 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण की जांच निम्नांकित पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई

1. लादूसिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी लाडनूं, दिनांक 25.02.15 से दिनांक 04.06.15 तक

2. धर्मेश दायमा, उप निरीक्षक, थानाधिकारी मोलासर, दिनांक 04.06.15 से दिनांक 05.07.15 तक

3. सुरेश कुमार सोनी, उप निरीक्षक, थानाधिकारी मोलासर, दिनांक 05.07.15 से दिनांक 10.09.15 तक

4. शम्भु सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी मोलासर, दिनांक 10.09.15 से लगातार

(3) अनुसंधान प्रक्रियाधीन है एवं पूर्ण होने पर ही इस पर आगे की कार्यवाही बाबत निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(गृह मंत्री)

(4) प्रकरण में अनुसंधान जारी है एवं इस समय इस बाबत कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-69

(स्थगित)

प्रदेश के जिलों में दर्ज अपराध के प्रकरण में कार्यवाही

70. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में चोरी, डकैती, अपहरण, बल्वा, बलात्कार आदि के कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये और किन-किन प्रकरणों में न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में चोरी, डकैती, अपहरण, बल्वा, बलात्कार आदि के कुल 24140 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 4 पर अंकित है।

(2) उक्त प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये और किन-किन प्रकरणों में न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये का संख्या विवरण जिलेवार परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 5 व 6 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रों के लिये आबंटित बजट में वृद्धि

71. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी राशि आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(डा. किरोडी लाल)

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रवाह के रूप में प्रत्येक विभाग के बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आबंटित करती है । वर्ष 2015-16 में कुल राज्य प्रावधान 7140578.10 लाख रुपये में से 988671.27 लाख रुपये जनजाति प्रवाह के रूप में आबंटित किए गए हैं जो राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2015-16 में जनजाति उपयोजना प्रवाह में राज्य योजना का 13.85 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। आबंटित बजट में वृद्धि जनसंख्या के अनुपात, क्षेत्रीय मांग एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में ढांचागत अंतराल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 1000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जनजाति उप योजना व माडा क्षेत्र का विस्तार

72. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव शासन के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन पश्चात माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार के प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा।

यहां उल्लेखनीय है कि माडा/माडा कलस्टर क्षेत्र के गठन/विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है।

जमवारामगढ़ (जयपुर) में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

73. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मुंसिफ न्यायालय खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या नियम बनाये गये हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा मुंसिफ न्यायालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब एवं उस पर अब तक क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बढ़ते मुकदमे एवं जनहित में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है। निर्धारित मानदण्ड की छायाप्रति प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) खोलने की घोषणा नहीं की गई है।

(3) किसी स्थान पर नवीन मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना उस क्षेत्र के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

जमवारामगढ़ में मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर जमवारामगढ़ में मुंसिफ न्यायालय (सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय) की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

प्रदर्श-1

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

रजिस्ट्रार,

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर।

क्रमांक प. 1(6)/न्याय/89　　जयपुर, दिनांक 7 अगस्त, 1993

विषय :- न्यायालय खोले जाने हेतु वादों की संख्या का मानदंड तथा नये न्यायालय खोले जाने के प्रस्तावों बाबत।

संदर्भ :- एस.बी. सिविल कण्टेन्ट पिटीशन सं. 211/90 पदम कुमार बनाम राज्य।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा निम्न मानदंड के अनुसार नये न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित हैं :-

1. एम.जे.एम./ए.एन.जे.एन./जे.एम.	1700 से 2000 वाद
2. मुख्य न्यायिक/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1200 से 1500 वाद
3. जिला/अपर जिला न्यायालय	1000 से 1200 वाद

अतः कृपया इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति से अवगत करावें कि दिनांक 1.6.93 को कितने-कितने वाद लम्बित हैं तथा कितने न्यायालय कहां-कहां पहले से प्रभावित हैं व उक्त नार्म्स के अनुसार किसने न्यायालय खोले जाने हैं।

कृपया उक्त सूचना अतिशीघ्र भिजवायें।

भवदीय,

उप शासन सचिव

खण्डार के चिकित्सालयों में रिक्त पद

74. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कितने राजकीय सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त केन्द्रों के स्वीकृत पदों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 102 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सक से अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से चयनित पात्र अभ्यार्थियों द्वारा शीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं रेडियोग्राफर पदोन्नति का पद है, डीपीसी की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। इन पदों हेतु दिनांक 26.02.2013 को विज्ञापन जारी किया गया था, भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा।

बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता का पद डाइंग केडर का है तथा वार्ड बाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। जिन्हें शीघ्र ही भरने का प्रयास किया जायेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत पंचायत समिति खण्डार, सवाई माधोपुर एवं चौथ का बरवाड़ा का क्षेत्र आता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत हैं। इसलिए विधान सभा क्षेत्र खण्डार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार विधान सभा क्षेत्र खण्डार में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र खण्डार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय ही नाम तय किये जाते हैं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	10

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4
3.	चिकित्सा अधिकारी	21
4.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1
5.	नर्स श्रेणी प्रथम	17
6.	नर्स श्रेणी द्वितीय	49
7.	फार्मासिस्ट	4
8.	मलेरिया निरीक्षक	1
9.	रेडियोग्राफर	1
10.	सहायक रेडियोग्राफर	5
11.	लेब टेक्नीशियन	17
12.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	15
13.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	124
14.	कनिष्ठ लिपिक	2
15.	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू)	10
16.	वाहन चालक	1
17.	नेत्र सहायक	1
18.	वार्ड बाय/च. श्रे. कर्म.	31
19.	सफाई कर्मचारी	15

प्रदेश में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की जांच करने हेतु संचालित प्रयोगशालाएं

75. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मिलावटी व दूषित खाद्य सामग्रियों की जांच करने हेतु कई प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन शहरों/कस्बों में कितनी-कितनी?

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) गत 3 वर्षों में उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा कितने नमूनों की जांच की गई एवं कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में मिलावटी व दूषित खाद्य सामग्रियों की जांच करने हेतु वर्तमान में 5 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एवं अलवर मुख्यालय पर संचालित हैं।

(2) गत 3 वर्षों में उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा जांच किये गये नमूनों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट –अ

वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक प्रयोगशालाओं द्वारा जांच किये गये नमूनों तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	वर्ष	सभी प्रयोगशालाओं द्वारा जांच किये गये नमूनों की संख्या	नमूनों के अवमानक पाये जाने के पश्चात दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संख्या
1	2012	8697	2054
2	2013	6384	1507
3	2014	6215	1694
Total		21296	5255

राजकीय महिला चिकित्सालय अलवर में प्रसूताओं हेतु अनुबन्धित वाहन में अनियमितता

76. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नव प्रसूताओं को घर तक छोड़ने के लिये वाहन उपलब्ध करवाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में प्रसूताओं को छोड़ने हेतु वाहनों को भुगतान में अनियमितता

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रत्येक प्रसूता के लिये पृथक् वाहन उपलब्ध होने के उपरान्त भी वाहन चालकों द्वारा एक ही मार्ग की तीन-चार नव प्रसूताओं को एक साथ ले जाया जाता है एवं इसका भुगतान अलग-अलग उठाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त वाहन चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनुबंधित वाहनों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मिलीभगत होने के कारण वाहन मालिकों द्वारा गलत भुगतान उठाया जा रहा है?

(4) क्या सरकार इस योजना में हो रही अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नव प्रसूताओं को घर तक छोड़ने के लिये निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) अलवर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में प्रसूताओं को घर तक छोड़ने वाले वाहनों के भुगतान में धांधली की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। एक रूट की अधिकतम दो प्रसूताओं को एक वाहन से छोड़ा जाता है जिसका भुगतान पृथक-पृथक नहीं दिया जाता है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत निदेशालय/जिले को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत निदेशालय/जिले को प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मीठड़ी (लाडनूं) राजकीय सामुदायिक केन्द्र में धर्मशाला का निर्माण

77. **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मीठड़ी (लाडनूं) जिला नागौर की क्रमोन्नति के समय 3 करोड़ रुपये का बजट आबंटित हुआ था? यदि हां, तो कब व उक्त बजट किन-किन कार्यों में कितना-

(श्री बंशीधर)

कितना व्यय किया जाना था? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि का उपयोग भवन निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेबोरेट्री आइटम्स, शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित कम्पोनेंट्स, फर्नीचर्स एवं अन्य सामान अभी तक क्रय नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बजट में धर्मशाला का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो अब तक उक्त निर्माण नहीं करने के क्या कारण रहे और अब कब तक धर्मशाला का निर्माण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठडी (लाडनूं) जिला नागौर की क्रमोन्नति हेतु 3 करोड़ रुपये का बजट आबंटन नहीं हुआ था। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आर्वतन, परिवर्तन एवं विस्तार के निर्माण कार्य हेतु 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.4.2013 के द्वारा 96.63 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.04.2013 के द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि रुपये 96.63 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त राशि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठडी (लाडनूं) के भवन में आवर्तन, परिवर्तन, विस्तार इत्यादि कार्यों के लिये ही स्वीकृत की गई है इसलिए उक्त राशि निर्माण कार्य पर ही व्यय की गई है। अतः कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठडी (लाडनूं) जिला नागौर में लेबोरेटरी आइटम्स, फर्नीचर इत्यादि समान क्रय कर लिये गये हैं। परन्तु

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद रिक्त होने के कारण शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण क्रय नहीं किये गये हैं।

(4) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठडी (लाडनूं) के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 96.63 लाख रुपये में धर्मशाला का निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं था। अतः धर्मशाला का निर्माण नहीं कराया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिठडी (लाडनूं) जिला नागौर में धर्मशाला के निर्माण हेतु वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है।

चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में धर्मशाला के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिठडी में भूमि उपलब्ध होने पर धर्मशाला का निर्माण कार्य करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परबतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक की स्थापना

78. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले के परबतसर कस्बे में संचालित राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में वर्तमान में कौन-कौनसी जांच सुविधाएं एवं जांच उपकरण उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार मरीजों की संख्या एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त चिकित्सा केन्द्र में ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में उपलब्ध जांच सुविधाओं एवं जांच उपकरणों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में ब्लड बैंक स्वीकृत करवाया जाना विचाराधीन नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबतसर में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्वीकृत है। ब्लड स्टोरेज यूनिट के लिए प्रशिक्षित टेक्निशियन, रेफ्रिजरेटर, उपकरण आदि उपलब्ध हैं, ब्लड बैंक प्रशिक्षण प्राप्त डा. शकील अहमद राव चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण डा. बीरमाराम जांगीड़ को ब्लड स्टोरेज यूनिट के संधारण से सम्बन्धित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रशिक्षण के लिये आदेश जारी किये गये हैं तथा ब्लड स्टोरेज यूनिट का रजिस्ट्रेशन नं. आरएजे/बीएससी/2010/95 है, जो 13.08.2014 तक मान्य था। रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना

79. **श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के चिकित्सालयों में वर्तमान में कितनी नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं? सूची सदन की मेज़ रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त दवाइयों में से नाम मात्र की दवाइयां ही उपलब्ध कराई जाती हैं एवं अन्य दवाइयां ग्रामीण मजदूरों को बाहर से खरीद कर लेनी पड़ती हैं ? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर सभी नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के चिकित्सालयों में उनके स्तर अनुसार वर्तमान में कुल 601 प्रकार की औषधियां, 73 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान आवश्यक दवा सूची (एसैंसियल ड्रग लिस्ट) में किया गया है । सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों यथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ईडीएल (एसैंसियल ड्रग लिस्ट) में सम्मिलित औषधियां मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2015-2016 तक उपलब्ध करवाई गई औषधियों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारियों की मांग के अनुसार ईडीएल (एसेंसियल ड्रग लिस्ट) में सम्मिलित औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गोपालन हेतु संचालित योजनाएं

80. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गोपालन विभाग का गठन कब किया गया ?

(2) उक्त विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं संचालित की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य कब-कब और कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्री मण्डल सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.27(1) केबि/2014 दिनांक 13.03.2014 द्वारा गोपालन विभाग का गठन दिनांक 13.03.2014 को किया गया।

(2) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2014-15 में गोपालन विभाग द्वारा किये गये कार्यों की सूचना मय राशि के परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

मावली में गौशाला निर्माण

81. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में आवारा गायों हेतु गौ-शाला का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उदयपुर जिले में गौ-शालाओं का निर्माण कहां-कहां एवं कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ज़ी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाएं नहीं खोली जाती हैं ।

(2) जिला उदयपुर में किसी भी गौशाला का निर्माण राज्य सरकार के स्तर से नहीं किया गया है।

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अर्न्तगत उदयपुर जिले में कुल 13 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जो कि स्वयं सेवी संस्थाओं या स्थानीय कमेटी द्वारा संचालित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

उदयपुर जिले में पंजीकृत गौशालाएं

क्र. सं.	गौशाला का नाम	गांव का नाम	तहसील	पंजीकरण सं.	पंजी. दिनांक
1.	गौ सेवा समिति, सार्वजनिक गौशाला, अशोक नगर, उदयपुर तह. गिर्वा	उदयपुर	गिर्वा	80	23.08.1975
2.	पशुपाति कल्याण परिषद, बलीचा नेशनल हाइवे-8 उदयपुर तह. गिर्वा	उदयपुर	गिर्वा	446	21.12.2002
3.	आदर्श गौसदन, गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अशोकनगर, उदयपुर तह. गिर्वा	अशोक नगर, उदयपुर	गिर्वा	704	16.09.2005
4.	श्री गोकुल गौशाला, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर तह. गिर्वा	पानेरियों की मादड़ी	गिर्वा	845	23.10.2007
5.	आदिनाथ पशु रक्षा संस्थान, कानोड तहसील-वल्लभनगर	कानोड	वल्लभ नगर	237	19.07.2000
6.	श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ गौशाला, बांसडा, भीण्डर तहसील-वल्लभगनर	बांसडा, भीण्डर	वल्लभ नगर	323	17.08.2001

क्र. सं.	गौशाला का नाम	गांव का नाम	तहसील	पंजीकरण सं.	पंजी. दिनांक
7.	ईडाणा माता गौशाला, ईडाणा, तहसील-सलूम्बर जिला उदयपुर	ईडाणा	सलूम्बर	699	23.08.2005
8.	विश्वेश्वर गौशाला गोगुन्दा तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर	गोगुन्दा	गोगुन्दा	837	17.09.2007
9.	श्री बोहरा गणेश मंदिर गौशाला, उदयपुर	उदयपुर	गिर्वा	1090	29.07.2010
10.	श्री मांगबाई मनोहरलाल सरूपरिया गौशाला हिरण मंगरी, सुरो का फला	उदयपुर	गिर्वा	1057	28.03.2011
11.	श्री ग्वालेश्वर गौशाला समिति, सेरिया	सलूम्बर	सलूम्बर	1334	25.02.2014
12.	श्री कृष्ण महावीर गौ सेवा संस्थान	मावली	मावली	1379	06.05.2014
13.	श्री बालासर गौशाला समिति	धौलगिरी खड़ा	सलूम्बर	1471	10.04.2015

प्रदेश में फसल बीमा नियमों में संशोधन करने की योजना

82. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल बीमा योजना संचालित है? यदि हां, तो उसके संचालन हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं एवं उक्त राशि किन-किन एजेंसियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के मानदंडों में कमियों के कारण किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में दो फसल बीमा योजनाएं यथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत

(कृषि मंत्री)

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। उक्त फसल बीमा योजनाओं के मानदंड परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा हेतु अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा पात्र बीमित कृषकों के बीमा क्लेम सम्बन्धित नोडल बैंकों को हस्तान्तरित किए जाते हैं, जिनके द्वारा बीमा क्लेम राशि सम्बन्धित बीमित कृषकों के खातों में नियमानुसार जमा होती है। भारत सरकार द्वारा बीमा हेतु अधिकृत कम्पनियां जो राज्य में फसल बीमा का कार्य कर रही हैं, का विवरण परिशिष्ट2 पर संलग्न है।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ में कम वर्षा, अधिक वर्षा, लगातार सूखा दिवस तथा रबी में कम तापमान, अधिक तापमान, आर्द्रता एवं बेमौसमी वर्षा की जोखिम कवर की जाती है। निर्धारित मौसमी मानदंडों से विचलन की स्थिति में पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम देय होता है जबकि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर पूर्व निर्धारित गारण्टी उपज से तुलना कर पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम दिया जाता है।

बीमा योजनाओं में प्रिमियम से कम या ज्यादा क्लेम वितरण उस वर्ष के उत्पादन या जोखिम जो कवर की गई है, के विचलन पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं की पृथक से समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान राशि

83. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कई पंजीकृत गौशालायें चल रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितनी-कितनी गायें प्रत्येक गौशाला में विद्यमान हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा गौशालाओं को प्रति पशुधन के अनुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गौशालाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गयी है? यदि हां, तो किन-किन गौशालाओं को कब-कब कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षो में सरकार ने प्रदेश की कई गौशालाओं के लिए आबंटित भूमि को निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन गौशालाओं की कितनी-कितनी भूमि का कब-कब आबंटन निरस्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत जयपुर जिले में पंजीकृत गौशालाओं का पंचायत समितिवार मय गौवंश की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। अभाव संवत 2071 में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अभाव अवधि के दौरान प्रदेश के अभावग्रस्त जिलों में उपलब्ध समस्त पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं को निम्नानुसार अनुदान दिया जा रहा है :-

बडे पशु : 70 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन

छोटे पशु : 35 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन

(3 व 4) संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग की अ. शा. टीप सं. प. 04 (116) राज-3/2015 दिनांक 16.9.2015 (परिशिष्ट-ब) के द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सदस्य द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध सम्पूर्ण राज्य से है, जिसे एकत्रित करने में काफी समय लगने की सम्भावना है। राजस्व विभाग से सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अविका क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित भेड़ पालक

84. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भेड़पालकों हेतु अविका क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बाबू सिंह)

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उक्त योजना के तहत कुल कितने भेड़पालकों को लाभांवित किया गया? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में भेड़पालकों हेतु अविका क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 06.12.2004 से किया जा रहा है । विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अविका क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत किसी भी भेड़पालक को लाभान्वित नहीं किया गया है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाहरी निवेश की कार्य योजना

85. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में राज्य में बाहरी निवेश हेतु कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? उक्त कार्य हेतु आयोजित कार्यक्रमों में वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रयासों के पश्चात् बाहरी निवेश के कितने प्रस्ताव किस-किस विभाग व किस-किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तावों से प्रदेश में कितना निवेश हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये:-

1. नई औद्योगिक एवं निवेश नीति माह जून, 2010 में जारी कर दी गई है।
2. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2010 भी माह अगस्त, 2010 में जारी कर दी गई है।

(उद्योग मंत्री)

3. राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम-2011 पूरे राज्य में दिनांक 01.04.2011 से लागू किया जा चुका है।

उपरोक्त अवधि निवेश प्रोत्साहन हेतु कोई पृथक कार्यक्रम या आयोजन आयोजित नहीं किया गया।

(2) सम्बन्धित अवधि में प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(3) सम्बन्धित अवधि में प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी अनुसंलग्नक-2 पर संलग्न है।

(जानकारी पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले में बास्केटबाल एवं जूडो खेल अकादमी की स्थापना

86. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बास्केटबाल एवं जूडो में जिला बाड़मेर के खिलाड़ी लगातार कई वर्षों से राज्य स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु बास्केटबाल एवं जूडो खेल अकादमी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित बास्केटबाल अकादमी में बाड़मेर जिले के दो खिलाड़ियों ने बास्केटबाल खेल में राज्य स्तर पर भाग लिया । जिसमें से एक खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है।

वर्तमान में सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर में बास्केटबाल एवं जूडो खेल अकादमी प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सीमेण्ट लि. को भूमि का आबंटन

87. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में श्री सीमेण्ट लि. को कितनी भूमि का आबंटन किया गया है? प्लांट अनुसार रकबा मय काश्तकार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सुशील कंवर)

(2) श्री सीमेण्ट लि. के लिए अवाप्त की गई भूमि के कितने काश्तकारों के पुनर्वास हेतु प्लांट में नौकरी प्रदान की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री सीमेण्ट लि. को तहसील क्षेत्र ब्यावर में 328-03-12 बीघा भूमि एवं तहसील क्षेत्र मसूदा में 1410-04-11 बीघा भूमि का आबंटन किया गया है।

पाली जिले के उपखण्ड जैतारण में श्री सीमेण्ट लि. रास प्लांट हेतु 461-11 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। श्री सीमेण्ट रास प्लांट हेतु आबंटित भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा आदि की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्री सीमेण्ट लि. कोद ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं में 142.16 हैक्टेयर भूमि का आबंटन रीको द्वारा दिनांक 12.05.2015 को किया गया, जिसके द्वारा भौतिक कब्जा सौंपने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। काश्तकारों के नामों की सूची मय रकबा परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अवाप्ति आदेशों में काश्तकारों के पुनर्वास के लिए प्लांट में नौकरी देने का प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नई पर्यटन नीति के तहत ओरडिया ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज को भूमि का आबंटन

88. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत भीलवाड़ा जिले में ओरडिया ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज ने पर्यटन विभाग की सहमति/स्वीकृति के उपरांत एक पर्यटन इकाई के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए ग्राम गुरलां में आराजी नम्बर 919 की कुल 15 बीघा भूमि के आबंटन हेतु जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया था?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा ने भी उक्त आराजी में औद्योगिक हब विकसित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो उक्त भूमि के आबंटन में अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब कब तक आबंटन के आदेश जारी कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं । नई पर्यटन नीति 2015 के तहत ग्राम गुरला की उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

मै. रायल प्लाजा रिसोर्टस ओरडिया ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज भीलवाड़ा के द्वारा दिनांक 01.09.2011 को आवेदन किया था। किन्तु अब आबंटन नई पर्यटन नीति 2015 के तहत ही किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं।

खैरवाड़ी ग्राम आमेर तहसील (जयपुर) में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि

89. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खैरवाड़ी, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 का राजस्व खाते में इंद्राज है ? यदि हां, तो कब से एवं किसके नाम ? सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त खसरा नं. 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 के आधिपत्य के सम्बन्ध में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में होते हुए भी वन विभाग द्वारा आधिपत्य किये जाने के क्या कारण हैं? वन विभाग के स्वामित्व दर्शाए जाने वाले दस्तावेज की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर की आराजी खसरा नम्बर 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 सम्वत 2008 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वर्तमान में जमाबंदी संवत 2071-2074 के खसरा नम्बर 419/1 व 420/1 घासीराम पुत्र रामचन्द्र बैरवा हिस्सा 1/3 निवासी ग्राम कांकलवाड जिला टोंक व जगदीश प्रसाद पुत्र आनन्दीलाल जाति रैगर हिस्सा 2/3 निवासी 72 कल्याण नगर, करतारपुरा के नाम व ख. नं. 419/2 व 420/2 श्रीमती गुलाबवती धर्मपत्नि गणपतिलाल, जाति रैगर निवासी 72 कल्याण नगर करतारपुरा के नाम अंकित है। जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी विभिन्न मा. न्यायालय के निर्णय अनुसार किसी भी सरकारी रिकार्ड में वन भूमि दर्ज होने पर उसे वन

(राज्य मंत्री, राजस्व)

भूमि ही माना जायेगा, के आधार पर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नहीं होते हुए भी वन भूमि माना जा रहा है।

आमेर वनखण्ड-54 को जयपुर वन अधिनियम-1939 के अधीन आरक्षित वन के रूप में दिनांक 15.10.1947 को विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत वन बंदोबस्त की कार्यवाही की जाकर राजस्थान वन अधिनियम-1953 एक्टकी धारा-20 के अन्तर्गत राजस्व (क) विभाग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7(58) रा.क./61 से आरक्षित वन घोषित किया गया है, जिसकी विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

इस अंतिम विज्ञप्ति में आमेर वनखण्ड-54 के मौजा खेरवाडी के अन्तर्गत वर्तमान खसरा नम्बर 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 की भूमि भी सम्मिलित है। इन वर्तमान 4 खसरा नम्बर, साबिक खसरा नम्बर 177 मिन व 178 मिन के रूप में रिकार्डेड है। खसरा वन विभाग बन्दोबस्त की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नायब तहसीलदारों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति

90. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसीलदार नियुक्ति में विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों का कोई प्रतिशत निर्धारित है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत एवं उस प्रतिशत के अनुसार कितनी नियुक्तियां कब-कब दी गईं? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भू-अभिलेख निरीक्षकों को तदर्थ आधार पर नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी और क्या उन्हीं नायब तहसीलदारों को तदर्थ आधार पर तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो कब व कितनों को? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली, 1956 के नियम-29(2)(ए) के तहत कार्यालय अधीक्षक संवर्ग के कुल पदों का 25 प्रतिशत कोटा

(राज्य मंत्री, राजस्व)

तहसीलदार पद हेतु निर्धारित है। जिसके तहत वर्तमान में मंत्रालयिक संवर्ग कार्यालय अधीक्षक से 14 पदों पर तहसीलदार पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है।

मंत्रालयिक कर्मचारी संवर्ग के कार्यालय अधीक्षकों को निम्नानुसार डीपीसी वर्ष से तहसीलदार के पद पर मौलिक पदोन्नति दी गई है :-

क्र.सं.	डीपीसी वर्ष	कार्यालय अधीक्षक से तहसीलदार पद पर दी गई पदोन्नति
1	1995-96	4
2	1996-97	1
3	1997-98	6
4	1998-99	2
5	1999-2000	निल
6	2000-01	निल
7	2001-02	1
8	2002-03	1
9	2003-04	5
10	2004-05	1
11	2005-06	1
12	2006-07	8

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के तहत कार्यालय अधीक्षक संवर्ग की रिव्यू डीपीसी नहीं होने के कारण डीपीसी वर्ष 2007-08 व आगे के वर्षों की डीपीसी का आयोजन नहीं किया गया। कार्यालय अधीक्षक संवर्ग की रिव्यू डीपीसी सम्पन्न होने के पश्चात राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2014 कार्यालय अधीक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी की जाने के पश्चात अब डीपीसी वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की डीपीसी का आयोजन किया जा रहा है।

नियमित डीपीसी के अभाव में निम्नांकित कार्यालय अधीक्षकों को तहसीलदार के पद पर तदर्थ पदोन्नतियां दी गई हैं :-

(राज्य मंत्री, राजस्व)

क्र.सं.	स्क्रीनिंग बैठक दिनांक	कार्यालय अधीक्षक से तहसीलदार पद पर दी गई तदर्थ पदोन्नति
1	21.08.2008	2
2	07.10.2011	4
3	09.01.2014	2
4	30.01.2015	8

(2) नायब तहसीलदार पद की वर्ष 2001-02 की डीपीसी दिनांक 10.06.2004 को आयोजित हुई एवं तहसीलदार पद की वर्ष 2006-07 तक की डीपीसी दिनांक 05.02.2008 को आयोजित हुई है। इसके पश्चात डीपीसी पर प्रतिबन्ध होने के कारण एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के तहत नायब तहसीलदार पद की डीपीसी वर्ष 2002-2003 से 2010-2011 तक एवं तहसीलदार पद की डीपीसी वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक की डीपीसी दिनांक 21.12.2012 से 27.12.2012 को आयोजित की गई। इस प्रकार नायब तहसीलदार पद की 9 वर्ष पश्चात डीपीसी हुई। जिसके फलस्वरूप विभाग में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के काफी संख्या में रिक्त रहे पदों पर समय-समय पर तदर्थ पदोन्नति दी गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(26) राज./ग्रुप-1/2012 दिनांक 04.01.2013 से कार्मिक विभाग की आई.डी संख्या 35 दिनांक 04.01.2013 द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 11.01.2013 से 71 तदर्थ नायब तहसीलदारों को तदर्थ तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई। उक्त सभी 71 तदर्थ तहसीलदार, दिनांक 30.01.2015 को आयोजित नायब तहसीलदार पद की नियमित डीपीसी वर्ष 2011-12 व 2012-13 में मौलिक पदोन्नति दी जा चुकी है।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र संख्या प. 2 (24)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 12.09.2013 द्वारा राज्य में निकट भविष्य में चुनावों के दृष्टिगत आपवादिक रूप से नियमों में शिथिलता एवं कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 112 दिनांक 12.09.2013 के द्वारा तदर्थ तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु दी गई स्वीकृति के आधार पर राजस्व

(राज्य मंत्री, राजस्व)

मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 20.09.2013 द्वारा 170 नायब तहसीलदारों को तदर्थ तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसमें नायब तहसीलदार सीधी भर्ती के 95 कार्मिक थे तथा शेष 75 पदोन्नति कोटे के तदर्थ नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर तदर्थ पदोन्नति दी गई। नायब तहसीलदार के पद की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की नियमित डीपीसी किया जाना शेष है। उक्त 75 तदर्थ तहसीलदार भी निकट भविष्य में होने वाली नायब तहसीलदारों की डीपीसी वर्ष 2013-14 में मौलिक रूप से पदोन्नत होंगे।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 2 (12)राज./ग्रुप-1/2009 दिनांक 23.12.2014 के द्वारा एवं कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 1152 दिनांक 23.12.2014 के अनुसरण में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 11.02.2015 द्वारा 44 तदर्थ नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर तदर्थ पदोन्नति दी गई। उक्त 44 तदर्थ तहसीलदार, निकट भविष्य में होने वाली नायब तहसीलदार की डीपीसी वर्ष 2014-15 से मौलिक पदोन्नत होंगे।

समस्त आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मियाला ग्राम पंचायत देवगढ़ तहसील की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

91. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मियाला, तहसील देवगढ़ के अन्तर्गत एन.एच. 8 पर मामा-भाणजा ढाबा एवं उसके पास वाली जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस आदेश एवं अनुमति से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवैध निर्माण की सूचना ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा एस.डी.एम., तहसीलदार एवं पटवारी को दी गयी थी? यदि

(श्री हरिसिंह रावत)

हां, तो इतना कार्य होने तक उक्त अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या उक्त भूमि की किस्म बिलानाम एवं चरनोट है ? यदि हां, तो क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मामा-भाणजा ढाबे की जमीन पर वाणिज्य कार्य संचालन की अनुमति ली गयी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसको मौके पर रूकवाया जाकर निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। पाबन्द किये जाने के बाद किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(2) जी हां। दूरभाष से प्राप्त संदेशानुसार तुरन्त मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण रूकवाया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 2/15 दिनांक 26.08.2015 को दर्ज किया जाकर नियत पेशी दिनांक 28.08.2015 व 10.09.2015 व 14.09.2015 जिसमें वकील अधिवक्ता उपस्थित हो जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। जिस पर अंतिम अवसर दिनांक 18.09.2015 तक का समय दिया गया है। नियत तिथि को पत्रावली निर्णित की जाकर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण विचाराधीन है एवं अतिक्रमी पूर्व वर्ष 2005 से नियमित बेदखली बावजूद अतिक्रमण कर निर्माण कर रहा था। जिसे रूकवाया गया।

(3) राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि किस्म बिलानाम मगरी होकर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। चरनोट नहीं है। सरकार एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। नियमानुसार सरकारी भूमि पर सम्परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी भवनों के विस्तार पर व्यय राशि

92. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में कितने नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, कितने आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा कितने आंगनबाड़ी भवनों के विस्तार हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय कर प्रदेश में कितने नवीन आगंनबाड़ी भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा विस्तार किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के किन-किन गांव, ढाणियों में नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया गया, किन-किन आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत की गयी, किन-किन आंगनबाड़ी भवनों का विस्तार किया गया तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में 4850 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41932 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा 611 आंगनबाड़ी भवनों के विस्तार हेतु 27641.91 लाख राशि का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार से अंशदान राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कोई भी राशि व्यय नहीं की गई और आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मरम्मत एवं विस्तार नहीं किया गया ।

(2) वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मरम्मत एवं विस्तार का प्रावधान नहीं किया गया है।

पूर्व के वित्तीय वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 16 गांव ढाणियों में परियेाजना नीमराना के अन्तर्गत 06 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना बहरोड़ में 10 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा उन पर स्वीकृत 72.00 लाख रुपये में से 45.00 लाख राशि व्यय की गयी। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बहरोड में आंगनबाड़ी केन्द्रों की भवन निर्माण का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	स्वीकृत राशि	आज दिनांक तक व्यय राशि
1.	बहरोड़	रामसिंहपुरा	रामसिंहपुरा	4.50 लाख	1.80 लाख
2.	बहरोड़	नांगल खोडिया	नंगलीजागीर	4.50 लाख	1.80 लाख
3.	बहरोड़	नांगल खोडिया	नांगल खोडिया-4	4.50 लाख	1.80 लाख
4.	बहरोड़	जागुवास	मोमनपुर-1	4.50 लाख	1.80 लाख
5.	बहरोड़	जागुवास	सरविन्दपुरा	4.50 लाख	1.80 लाख
6.	बहरोड़	कारोडा	ढींस-1	4.50 लाख	1.80 लाख
7.	बहरोड़	जैनपुरवास	जैनपुरवास-1	4.50 लाख	1.80 लाख
8.	बहरोड़	शेरपुर	शेरपुर-1	4.50 लाख	1.80 लाख
9.	बहरोड़	शेरपुर	गोकुलपुर-1	4.50 लाख	1.80 लाख
10.	बहरोड़	कोहराना	कोहराना-1	4.50 लाख	1.80 लाख
11.	बहरोड़	काठूवास	हुडियाखुर्द	4.50 लाख	4.50 लाख
12.	बहरोड़	कान्हावास	कान्हावास	4.50 लाख	4.50 लाख
13.	बहरोड़	कान्हावास	ढिकवाल	4.50 लाख	4.50 लाख
14.	बहरोड़	रोडवाल	रोडवाल-2	4.50 लाख	4.50 लाख
15.	बहरोड़	कान्हावास	नांगलमेहता	4.50 लाख	4.50 लाख
16.	बहरोड़	दासोद	दासोद-2	4.50 लाख	4.50 लाख
			योग	**72.00 लाख**	**45.00 लाख**

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण

93. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में कितने-कितने बालकों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीराम भींचर)

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो पोषाहार के रूप में वर्तमान में क्या-क्या खाद्य सामाग्री किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्रामीण परियोजना में 194 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 11 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 205 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा विधान सभा क्षेत्र मकराना के शहरी क्षेत्र में 47 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में बालक/बालिकाएं/गर्भवती/धात्री महिलाओं के लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत महिला एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण की रोकथाम हेतु समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

लाभान्वित को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	लाभान्वित की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स
2	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स
3	3 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे	नाश्ता गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/मीठा दलिया)
4	3 वर्ष से 3 वर्ष के अति कम वजन वाले बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार (खिचड़ी/मीठा दलिया)

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

क्र. सं.	लाभान्वित की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
5	गर्भवती/धात्री महिलाएं	155 ग्राम बेबीमिक्स

लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की रेसीपी का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

जैसलमेर के नहरी किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था

पूरे राज्य में इस वर्ष मानसून सामान्य से कम रहा है। जैसलमेर जिले में प्रारम्भ की स्थिति थोडी ठीक रही प्रारम्भ में लगभग पूरे जिले में अच्छी बारिश हुई जिस कारण किसानों द्वारा लाखों हैक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बीजान की गई जिसमें ग्वार, मूंग, तिल, बाजारा शामिल है परन्तु अच्छी बारिश के तुरन्द बाद लगातार 20-25 दिनों तक आंधियां चलने के कारण किसानों की उम्मीदें धूमिल हुई हैं आंधियों से न केवल फसलें कम उगीं बल्कि भूमि सतह का जल जल्दी से नीचे चला गया हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि छोटे-छोटे पौधे खडे हैं और उन्हें पानी की सख्त आवश्यकता है बारानी फसलें भगवान भरोसे हैं क्योंकि उन्हें मात्र इन्द्र देवता से आस है परन्तु नहरी किसानों को इन्द्र भगवान के साथ-साथ सरकार से भी आसरा है नहर विभाग को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही तैयारी की जानी चाहिये परन्तु नहर विभाग स्थिति से निपटने में पूर्ण सक्षम नहीं हुआ है जबकि इस समय खरीफ फसल में किसानों को मात्र एक बार ही पूर्ण पानी मिल जाये तो भी शेष रही फसलें बच सकती हैं परन्तु जैसलमेर जिले में सिंचाई के पानी की अव्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है जिले के किसानों को जो निश्चित पानी हिस्से का तय है उसके मुकाबले 10 प्रतिशत भी पानी नहीं मिल रहा है। वैसे भी नहर विभाग की मानिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है ऊपर से जिला स्तर पर मुख्य अभियन्ता का पद समाप्त कर दिया गया है विभाग के अधिकारियों में न तो पंजाब से सही तालमेल है न ही गंगानगर बीकानेर जैसलमेर के अधिकारियों में आपस में तालमेल है। जिले का किसान आंदोलित है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जिले को आनुपातिक रूप से तुरन्त नहरी जल उपलब्ध करवाया जावे एवं सभी नहरें तय समय एवं तय बारी के अनुसार चलाई जावें ताकि खरीफ की शेष रही फसलों को बचाया जा सके।

छोटू सिंह
(जैसलमेर)

आयुर्वेद नर्सेज की वेतन विसंगति का निराकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पांचवे वेतन आयोग तक आयुर्वेद नर्सेज की वेतन श्रृंखला ऐलोपेथी नर्सेज के समान ग्रेड पे थी लकिन पूर्ववर्ती सरकार ने 6 वेतन आयोग तथा भटनागर कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् राजस्थान में आयुर्वेद नर्सेज की ग्रेड पे में अन्तर कर दिया तदनुसार ऐलोपेथी नर्सेज को 4200/- रु. ग्रेड पे दिया गया जबकि आयुर्वेद नर्सेज को 3600/- रु. देकर भेदभाव कर दिया गया जबकि शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता दोनों की समान है, भर्ती का तरीका एवं कार्यक्षेत्रों में भी समानता है। पूर्व मुख्य मंत्री स्वं. श्री भैरूसिंहजी ने ही आयुर्वेद नर्सेज को ऐलोपेथी के समान किया था।

ऐलोपेथी नर्सेज में ग्रामीण कैडर समाप्त कर दिया है जबकि आयुर्वेद में अभी तक भी ग्रामीण कैडर रखा है।

अतः सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद नर्सेज की वेतन भी ऐलोपेथी नर्सेज के समान किया जावे और ग्रामीण कैडर को भी समाप्त किया जावे।

सधन्यवाद।

कंवर लाल
(मनोहरथाना)

सज्जनगढ़ में बिजली का सहायक अभियन्ता कार्यालय

महोदय,

मेरा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में बिखरी बस्ती है तथा पूरा नोन कमाण्ड क्षेत्र है। विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं तथा एक नगरपालिका है व 71 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली विभाग का एकमात्र कार्यालय कुशलगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत है जिससे सज्जनगढ़ पंचायत समिति के आम नागरिकों को विघुत सम्बन्धी काफी परेशानी होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय विघुत मंत्री महोदय से निवेदन है कि सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में विघुत कार्यालय स्थापित किया जावे ताकि क्षेत्र के आम जनता को विघुत सम्बनधी सुविधा मिल सके। आजादी के लम्बे अन्तराल के बाद भी मेरे क्षेत्र में कई गांवों में

आज भी विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। जबकि हमारी सरकार ने हर नागरिक को लाइट उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किया है।

अतः सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सहायक अभियन्ता कार्यालय खुलवाने का श्रम करावें।

भीमा भाई
(कुशलगढ़)

माही डैम की दायीं-बायीं व भूगड़ा क्षेत्र की नहरों की मरम्मत

महोदय,

जिला बांसवाड़ा में 1966 से शुरू होकर 1980 तक माही डैम का निर्माण का कार्य चला व उसकी दरम्यान दायीं व बायीं एवं भूगडा कैनालों का निर्माण हुआ है।

वह नहरें अभी टूट-फूट गई हैं व नहरें टूट-फूट होकर के जर्जर हो गई हैं जिससे पानी सीपेज से होकर नदी व नालों में व्यर्थ चला जा रहा है।

मान्यवर, अभी जिला बांसवाड़ा में वर्षा के अभाव में मक्का व सोयाबीन की खरीफ फसलें सूख रही हैं जिस कारण माही डैम की दायीं व बायीं एवं भूगडा क्षेत्र की नहरों में माही डैम का पानी खरीफ फसल में पीयल के लिए पानी नहरों में छोड़ा गया है, परन्तु वह पानी खरीफ फसल सूख रही है उन खेतों में नहीं जाकर टूटी नहरें होने से पानी नदी व नालों में बहता चला जा रहा है।

अतः मेरा आग्रह है कि नहरों का तत्काल सर्वे कराई जाकर आने वाली रबी के फसल के लिए सही व्यवस्था कराई जावे, ताकि माही डेम के पानी का उपयोग सही तरीके से हो सके।

नवनीत लाल
(घाटोल)

गंगानगर के वीरेन्द्र सिंह हत्याकाण्ड के आरोपियों की गिरफ्तारी

महोदय,

सविनय निवेदन है कि सेवानिवृत्त फौजी गिरवर सिंह के युवा पुत्र वीरेन्द्रसिंह की हत्या करीब एक साल पहले हुई थी लेकिन पुलिस ने आज तक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया सेवानिवृत्त सैनिक न्याय के लिये दर-दर भटक चुके हैं, लेकिन आरोपियों के ऊंचे सम्बन्धों के चलते गिरफ्तारी नहं हो पा रही है। 24-5-2014 को शव बरामद होने के बाद 6 पुलिस

अधिकारियों ने जांच की थी लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद जांच बदलकर सीआईडी (सीबी), के डीवाईएसपी मोहनलाल दादरवाल को दे दी गई है। इस जांच में भी करीब 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। देश की सेवा करने वाले व्यक्ति को न्याय राजनेताओं की दखलअंदाजी के कारण नहीं मिल रहा है। जिससे गंगानगर की जनता में भयंकर आक्रोश है। पिछले दो महीने से धरना भी चल रहा है। और अगर समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किसी भी दिशा में जा सकता है।

अतः आप श्रीमानजी से निवेदन है कि आप देशी की सेवा करने वाले व्यक्ति के दर्द को समझते हुये सरकार को निर्देशित कर अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करवाकर न्याय दिलावें।

सधन्यवाद।

हनुमान बेनीवाल

(खींवसर)

बाड़ी के किसानों की राजमार्ग हेतु अवाप्त जमीनों का मुआवजा

महोदय,

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय बाड़ी पर जो कि शहरी क्षेत्र में आता है, से होते हुए एन एच 11 बी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें कि गरीब किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है जिनको कि एन एच 3 धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में अपनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित की गई दर के हिसाब से मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है। जिन किसानों की भूमि अवाप्त की जा रही है। उन किसानों की जीवन यापन इसी भूमि पर निर्भर है।

2. जबकि धौलपुर में एन एच 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ाइकरण हेतु जो किसानों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई थी उसकी मुआवजा राशि 30,528 रुपये के वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित कर मुआवजा राशि दी गई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के पुत्र एवं झालावाड़ से सांसद श्री दुष्यन्तसिंह को 30,528 रुपये के वर्ग मीटर के हिसाब से 1,97,21,720 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया गया। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी खसरा नं. 875 पर दर्ज है, जिसका कि क्षेत्रफल 567 वर्ग मीटर है।

3. अगर एन एच 11 बी में आवाप्त हुई जमीन के हितधारी किसानों को एन एच 3 के मुआवजा निर्धारण में अपनाये गये मापदण्डों के अनुसार यदि भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ऐसा भेदभाव एक ही जिले में किसानों के साथ क्यों। अत: एन एच 3 में अवाप्त की गई भूमि की जो दर निर्धारित की गई थी उसी के मापदण्डों के अनुसार एन एच 11 बी के हितधारी किसानों को भी मापदण्डानुसार मुआवजा राशि प्रदान की जावे। कृपया इससे भी मुझे अवगत कराया जावे कि एन एच 3 में अपनाये गये मुआवजा राशि निर्धारण के नियम सही थे या गलत।

4. क्या राज्य सरकार भूमि के खरीद बेचान की दर उप पंजीयक कार्यालय में हो रहे विक्रय पर ली जाने वाली दर को बाजार मूल्य मानती है या नहीं।

5. एन एच 11 बी में आवाप्तशुदा आराजी के हितबद्ध किसानों को एन एच 3 धौलपुर में अपनाये गये नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार व मौके पर भूमियों के खरीद बेचान से राज्य सरकार द्वारा उनकी मालीयत के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जावे।

6. क्या आज लोकतंत्र है या राजतंत्र जिसमें कि धौलपुर जिले के राजा को अन्य नियमों से मुआवजा राशि का निर्धारण होता है व प्रजा को अन्य नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

7. एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार किसानों को अधिक से अधिक अवाप्तशुदा जमीन का मुआवजा प्रदान करने को प्रतिबद्ध होना कहते हैं उसमें मुख्य मंत्री महोदया अपनी सहमति जताती हैं, तो धौलपुर जिले के किसानों के साथ कम से कम दर का मौके एवं नियमों कि विरुद्ध मुआवजा राशि निर्धारण क्यों किया जा रहा है।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बन रहे एन एच 11 बी में अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि निर्धारण में किये जा रहे भेदभाव से व्यथित होकर किसान आन्दोलनरत है तथा एस डी एम कार्यालय बाड़ी पर किसानों का धरना जारी है।

अत: गरीब कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एन एच 3 राष्ट्रीय राजमार्गों धौलपुर में अवाप्तशुदा जमीन पर किसानों को जो मुआवजा राशि दिलाई गई है उसी के नियमानुसार एच एच 11 बी में अवाप्त जमीन के किसानों को भी मुआवजा राशि दिलाई जाकर अनुगृहित करें।

गिर्राज सिंह

(बाड़ी)

मालपुरा में फोर वाटर कंसैप्ट के तहत एनिकट निर्माण हेतु बजट का आबंटन

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के कोई साधन नहीं है। वर्षा की कमी रहती है। छोटे-छोटे एनिकट बन जाने से मेरे क्षेत्र के कुओं एवं बोरिंगों में वाटर लेवल बढ़ जायेगा। इसके लिए पिछले सत्र में मेरे क्षेत्र के मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड के लिए जल संसाधन विभाग खण्डों के द्वारा निम्न एनिकटों के प्रस्ताव भेजे गये थे। जिनको राज्य स्तरीय टेक्निकल कमेटी द्वारा भी अप्रूव्ड कर दिया गया था लेकिन आज दिनांक तक भी इन एनिकटों हेतु बजट पारित नहीं किया गया है इस बार भी बारिश कम हुई है, जो हुई है उसका पानी भी बहकर चला गया।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि फार वाटर कनसैप्ट परियोजना के तहत जो बजट आबंटन हुआ है उसमें से मेरे क्षेत्र के निम्न 1. रायपुरा (टोरडीह) एनिकट 2. सदरपुरा (दशमी) एनिकट 3. हाथी खल्ला (थडौली) एनिकट 4. नया गांव (मालपुरा) एनिकट 5. रिपयेरिंग भोमियां नदी (लाम्बाहरिसिंह) एनिकटों के लिए बजट दिलवाने की कृपा करें।

कन्हैयालाल

(मालपुरा)

बीकानेर में स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन

आदरणीय अध्यक्षजी,

महोदय निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजना स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य शहर की नियमित साफ-सफाई व शहर को गन्दी मुक्त करने की ओर था। लेकिन इस अभियान को पूर्ण सक्रियता के साथ बीकानेर शहर में लागू नहीं किया गया जिसके कारण शहर के भीतरी मौहल्लों में कई जगह कचरा इकट्ठा पडा रहता है, साफ-सफाई को लेकर पूर्ण सतर्कता व मानिटरिंग नहीं की गई। शहर के कई मौहल्लों में कचरा कलेक्शन सेंटर उपलब्ध नहीं है और न ही नियमित रूप से कचरे का उठाव होता है। दो-तीन मौहल्लों में एक ही सफाईकर्मी कार्यरत है जिससे कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है।

स्वच्छता अभियान का उद्देश्य शहर को गंदगी मुक्त, शुद्ध पर्यावरण व शहर का सौंदर्य और ज्यादा बढ़ाना था। लेकिन शहरी परकोटे के कुछ क्षेत्र मुक्ताप्रसाद नगर में सैक्टर नं. 6 से 12 एवं अन्य जगहों पर कचरों का ढेर पड़ा रहता है, जिसका दैनिक उठाव न होने से यहां कचरा फैल गया है जिससे गंदगी बढ़ने के साथ-साथ विषैले मच्छरों से बीमारी बढ़ने का डर रहता है। इसी प्रकार मुरलीधर व्यास नगर, बंगलानगर, जस्सुसर गेट, नत्थूसर गेट में बिनानी कालेज के पास, मूंधड़ा चौक आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी कचरा भरा रहता है यहां नियमित सफाई नहीं होने से कचरे के ढेर से बदबू आने लगती है तथा बीमारी फैलने की आशंका रहती है।

अतः आपसे निवेदन है कि स्वच्छ अभियान के तहत बीकानेर को पूर्णतः स्वच्छ व स्मार्ट बनवाने की कृपा करें।

सादर

डा. गोपाल कृष्ण

(बीकानेर पश्चिम)

अलवर के पाण्डुपोल हनुमान मंदिर जाने हेतु की जा रही अवैध वसूली

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना देना चाहता हूं। अलवर जिले में पाण्डुपोल हनुमान मंदिर एक धार्मिक महत्व का स्थान है। इस मंदिर में लाखों हिन्दुओं की आस्था जुडी हुई है। यह एक पौराणिक महत्व का मंदिर है। यहां पर प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते रहते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए वर्तमान में जो रास्ता है, वहां पर निजी वाहनों के अवागमन पर रोक लगी हुई बताई गई है। साथ ही जो निजी वाहन वहां जाते भी हैं, उनसे शुल्क भी वसूल किया जाता है। यदि ऐसा है तो किस नियमों के तहत हो रहा है? साथ ही प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के वाहनों से कितना-कितना शुल्क वसूला गया है? यह जानकारी प्रदान करायें।

मेरी जानकारी में यह भी आया है कि उक्त मंदिर में प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं महीने की पूर्णमासी के दिन बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु

दर्शनार्थ आते हैं। इन दिनों में भी निजी वाहनों से शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि गलत एवं अनुचित है जबकि मुगलों के राज में भी एवं अंग्रेजों के राज में भी यह व्यवस्था नहीं थी। साथ ही दर्शनार्थियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं थी। अब ऐसा किन नियमों के तहत किया जा रहा है?

इसमें यह भी शिकायत मिली है कि वन विभाग वाले भी उक्त मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के निजी वाहनों से शुल्क वसूल कर रहे हैं। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं तथा किन नियमों के तहत वसूली की जा रही है? यदि ऐसा है तो कब ऐसे आदेश जारी किये गये? यदि ऐसे आदेश जारी नहीं किये तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है? अवैध वसूली करने वाले बाकायदा रसीद भी काटकर देते हैं।

साथ ही सरिस्का वन अभयारण्य क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों से भी इस प्रकार की अवैध वसूली हो रही है, जबकि वे पाण्डुपोल हनुमान मंदिर भी नहीं जाते हैं।

मेरी जानकारी में यह भी है कि वर्ष 2014 से पहले गत सरकार में अलवर जिले के स्थानीय वाहनों के प्रवेश पर मंगलवार, शनिवार एवं पूर्णमासी के दिन कोई शुल्क नहीं लगता था जबकि राज्य की वर्तमान सरकार आने के बाद यह शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि मंदिरों के उत्थान और विकास की बात करती है, मंदिरों के नाम पर राजनीति करती है, मंदिरों के नाम पर जन भावना के साथ खिलवाड़ करती है। साथ ही सरकार यह भी बताये कि उक्त वसूल की गई राशि से उक्त क्षेत्र में विकास के कौन-कौन से काम कब-कब करवाये गये हैं?

अतः मेरा नियम 295 के तहत राज्य सरकार से निवेदन है कि कृपया उक्त पाण्डुपोल हनुमान मंदिर के दर्शनार्थियों की सुविधार्थ उक्त अवैध हो रही वसूली को तुरन्त बंद करवाया जाकर लोगों को राहत प्रदान करायें। साथ ही अब तक जो अवैध वसूली हो चुकी है या हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करायें।

भंवरलाल

(सरदारशहर)

कोलायत में किसानों को सिंगल फेज कनेक्शन पर मोटर चलाने की अनुमति

महोदय,

श्रीकोलायत विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में अधिकांशतया क्षेत्र जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर व इससे निकलने वाली नहरों के समीप है वहां पर भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है यहां पर भूमिगत जल 20 से 25 फीट की गइराई पर उपलब्ध है। इस क्षेत्र के किसान भूमिगत जल को सिंचाई के रूप में काम लेने हेतु ट्यूबवैल बना रहे है। जलस्तर ऊंचा होने के कारण 2 से 5 एच.पी. की विद्युत मोटर से उक्त टयूबवैल चलाकर सिंचाई की जा सकती है। 2 से 5 एच.पी. क्षमता वाली विद्युत मोटर सिंगल फेस के कनेक्शन से भी चल सकती है। उक्त क्षमता की मोटर को चलाने हेतु थ्री फेस कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

अतः क्षेत्र की मांग को मध्यनजर रखते हुए मैं, सरकार व माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि

श्रीकोलायत विधान सभा क्षेत्र के उक्त क्षेत्र जहां पर भूमिगत जलस्त्रोत 20 से 25 फीट की गहराई पर है। वहां पर सिंगल फेस कनेक्शन पर 2 से 5 एच.पी. की क्षमता वाली विद्युत मोटर चलाने की अनुमति प्रदान करावें।

थ्री फेस विद्युत कनेक्शन धारित किसानों को भी सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन धारित किसानों को भी सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन से विद्युत मोटरें चलाने की अनुमति प्रदान करावें जबकि पंजाब सरकार द्वारा यह सुविधा किसनों को दे रखी है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी यह सुविधा किसानों को दे। उक्त क्षेत्र में जल स्रोत ऊंचा है और इससे किसानों को नहर के अलावा सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है। और अगर इस जल का दोहन नहीं किया जावेगा तो आने वाले समय में उक्त क्षेत्र में सेम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि उक्त क्षेत्र को अलग जोन बनाकर टयूबवैल हेतु सिंगल फेस कनेक्शन जारी करने की अनुमति प्रदान करावें जिससे किसानों को अधिक फसल व राज्य को अधिक खाद्यान्न व राजस्व मिल सके। साथ ही उक्त क्षेत्र की बंजड़ पड़ी जमीनें भी खेती के लायक बन सकेंगी जिससे क्षेत्र के कृषक व पशुपालक व मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण का चाहे कृषक, चाहे पशुपालक व खेतीहर मजूदर हो कि कई पीढ़ियां उक्त इंदिरा गांधी नहर के पानी का इंतजार करते हेतु चली गयीं और अब यहां पानी आया है। तो दोहन करने हेतु बिजली नहीं मिल रही है।

अतः किसानों की जायज मांग पर कार्यवाही कर सिंगल फेस कृषि कनेक्शन दिये जाएं।

भंवरसिंह

(कोलायत)

कोटपूतली में सीवरेज का निर्माण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की नगर पालिका कोटपूतली की सीवर लाइन के बारे में निवेदन करता हूं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र कोटपूतली के लिए वर्ष 2013 में 132 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दो चरणों में पूरा करने के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिसमें प्रथम चरण के 77 करोड़ के टैण्डर लगाये गये थे तथा सीवर लाइन निर्माण कार्यादेश दिया गया था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सीवर लाइन को वर्तमान सरकार ने किस कारण निरस्त कर दिया गया। क्या सरकार कोटपूतली में सीवर लाइन डलवाना उचित नहीं समझती या फिर किसी भेदभाव से निरस्त कर दिया गया। आज जनता की मांग के अनुसार कोटपूतली में सीवर लाइन होना अत्यावश्यक है। मेरा निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी टैण्डर या दुबारा राशि स्वीकृत कर अतिशीघ्र सीवर लाइन डलवाने का श्रम करें।

राजेन्द्र सिंह यादव

(कोटपूतली)

जिला परिषद के शिक्षकों का वेतन नियमितीकरण

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला परिषद भर्ती 2012 के माध्यम से प्रदेशभर में करीब 40 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों का 2 वर्ष का

परीविक्षाकाल सितम्बर 2014 में समाप्त हो चुका है, इन शिक्षकों के 2 वर्ष के परीविक्षाकाल पूर्ण होने के बाद भी वर्तमान में मात्र 13200 रुपये फिक्स मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जबकि नियमितीकरण कर, इन्हें पूरा वेतनमान दिया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विभाग द्वारा तत्काल इसका निस्तारण कर, उक्त शिक्षकों को इनका हक दिलावें।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के इन 40 हजार शिक्षकों का वेतन नियमितीकरण किया जावे, ताकि इन शिक्षकों को न्याय मिल सके।

हरिसिंह रावत
(भीम)